


हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

44वीं बोर्ड बैठक का एजेण्डा



दिनांक 24-5-2008

समय: पूर्वान्ह 11:00 बजे

स्थान: केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष (मेला भवन), हरिद्वार

अनुक्रमणिका

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1	43 वीं बोर्ड बैठक की पुस्ति एवं कार्यवृत्त का अनुपालन	01 से 24 तक
2	44 वीं बोर्ड बैठक का मद संख्या-01 (बजट)	25 से 29 तक
3	44 वीं बोर्ड बैठक का मद संख्या-2(इन्द्रलोक फेज-1)	30
4	44 वीं बोर्ड बैठक मद संख्या-3 (द्रान्सफोर्ट नगर)	31
5	44 वीं बोर्ड बैठक मद संख्या-4 (इन्द्रलोक फेज-2)	32 से 34 तक
6	44 वीं बोर्ड बैठक मद संख्या-5 (आई०एस०बी०टी०)	35
7	44 वीं बोर्ड बैठक मद संख्या-6 (सिटी बस)	36
8	44 वीं बोर्ड बैठक मद संख्या-7 (सुपर स्पै० हास्पिटल)	37
9	44 वीं बोर्ड बैठक मद संख्या-8 (भू-उपयोग परिवर्तन प्रारूप एवं शुल्क)	38
10	44 वीं बोर्ड बैठक मद संख्या-9 (मनोज कुमार गोयल द्वारा प्रस्तुत भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण)	39
11	44 वीं बोर्ड बैठक मद संख्या-10 (मै० द्राईब्रास रिझोर्ट द्वारा प्रस्तुत भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण)	40
12	44 वीं बोर्ड बैठक मद संख्या-11 (मै० प्रिन्स पाईपस एण्ड फिटिंग प्रा०लि० द्वारा प्रस्तुत भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण)	41
13	44 वीं बोर्ड बैठक मद संख्या-12 (मै० एटो इन्फास्ट्रक्चर लि० द्वारा प्रस्तुत भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण ।)	42
14	44 वीं बोर्ड बैठक मद संख्या-13 (मै० सहारा इण्डिया द्वारा प्रस्तुत भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण ।)	43
15	44 वीं बोर्ड बैठक मद संख्या-14 (श्री आर०ए०चौधरी आदि द्वारा प्रस्तुत भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण ।	44
16	44 वीं बोर्ड बैठक मद संख्या-15 (श्री नेतराम आदि)	45

17	द्वारा प्रस्तुत भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण । 44 वीं बोर्ड बैठक मद संख्या-16 (श्री राकेश कुमार आदि द्वारा प्रस्तुत भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण ।)	46
18	44 वीं बोर्ड बैठक मद संख्या-17 (तिब्बतन होम फाउण्डेशन द्वारा प्रस्तुत भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण ।)	47
19	44 वीं बोर्ड बैठक मद संख्या-18 (श्री डी०के० अग्रवाल द्वारा पेट्रोल पम्प के अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में।)	48
20	44 वीं बोर्ड बैठक मद संख्या-19 (भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों को शासन को संदर्भित करने हेतु अध्यक्ष महो० को अधिकृत करने के सम्बन्ध में।)	49
21	44 वीं बोर्ड बैठक मद संख्या-20 (हरिद्वार नगर में पार्किंग स्थल के विकास के सम्बन्ध में।)	50
22	44 वीं बोर्ड बैठक मद संख्या-21(संशोधित भवन उपविधि को अंगीकृत करने के सम्बन्ध में)	51
23	44 वीं बोर्ड बैठक मद संख्या-22 (हरिलोक आवासीय योजना भाग-2 के सम्बन्ध में)	52
24	44 वीं बोर्ड बैठक मद संख्या-23 (हरिलोक आवासीय योजना में आश्रय भवनों को विकृय के सम्बन्ध में)	53
25	44 वीं बोर्ड बैठक मद संख्या-24(श्री सत्य प्रकाश शर्मा की व्याज माफी के सम्बन्ध में)	54
26	44 वीं बोर्ड बैठक मद संख्या- 25 (नगर पालिका सीमा के बाहर नियमित कालोनियों में मानचित्र स्वीकृति विषयक।)	55
27	44 वीं बोर्ड बैठक मद संख्या- 26 , अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय	
	संलग्नक:-	
28	43 वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या-03 का संलग्नक	56 से 63 तक
29	43 वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या-06 का संलग्नक	64

30	44 वीं बोर्ड बैठक का मद संख्या-2(इन्द्रलोक फेज-1)का संलग्नक	65 से 66 तक
31	44 वीं बोर्ड बैठक मद संख्या-3 (ट्रान्सपोर्ट नगर) का संलग्नक	67 से 68 तक
32	44 वीं बोर्ड बैठक मद संख्या-8 (भू-उपयोग परिवर्तन प्रारूप एवं शुल्क) का संलग्नक	69
33	44 वीं बोर्ड बैठक मद संख्या-14(संशोधित भवन उपविधि को अंगीकृत करने के सम्बन्ध में) का संलग्नक	70 से 80 तक

(1)
प्राधिकरण की 43 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 21.07.2007 को आयोजित की गई थी। इस कार्यवृत्त पर कोई आपत्ति/ सुझाव प्राप्त नहीं हुये है, अतः निवेदन है कि 43वीं बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की जाय।
प्राधिकरण की 43वीं बोर्ड बैठक दिनांक 21.07.2007 के कार्यवृत्त का अनुपालन:-

क्रमांक	विषय	निर्णय	अनुपालन
मद सं0-43(2)(1)	प्राधिकरण द्वारा अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में	<p>प्राधिकरण बोर्ड को अवगत कराया गया कि कुल 37 अवैध कालोनियां चिह्नित की गई थीं जिनमें से 15 कालोनियों का नियमितीकरण किया जा चुका है। शेष 22 कालोनियों के समबन्ध में बोर्ड को अवगत कराया गया कि वर्तमान महायोजना में इनका भू-उपयोग आवासीय नहीं है जबकि प्रस्तावित महायोजना 2025 में इनका भू-उपयोग आवासीय प्रस्तावित किया हैं सम्यक् विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिये गये।:-</p> <p>(क) इस आशय का विवरण तैयार कराया जाये कि जिन 15 कालोनियों में नियमितीकरण की कार्यवाही की गई है उनमें प्राधिकरण को विभिन्न मदों में कितनी-कितनी धनराशि प्राप्त हुई, तथा यह भी उल्लेख किया जाये कि नियमितीकरण की अवशेष कार्यवाही में किस-किस मद में कितनी-कितनी धनराशि की आय प्राप्त सम्भावित है।</p> <p>(ख) कालोनियों के नियमितीकरण के लिये एक cut of date निर्धारित की जाय (जिस के लिये उपाध्यक्ष, ह०वि०प्रा० को अधिकृत किया गया) तथा उस तिथि तक जितनी भी अवैध कालोनियां हैं उनके चिन्हीकरण का कार्य पूरा किया जाये।</p> <p>(ग) cut of date के बाद अनाधिकृत कालोनी का विकास प्राधिकरण के संज्ञान में आता है तो उसके लिये सम्बन्धित क्षेत्र के अवर अभियन्ता एवं</p> <p>(क) प्राधिकरण द्वारा नियमित की गई 15 कालोनियों में विकास प्राधिकरण की अभी तक शमन एवं विकास शुल्क आदि के मद में कुल धनराशि रु० 35.00 लाख प्राप्त हुई है। उक्त धनराशि प्राधिकरण द्वारा समय-2 पर कैम्प लगाकर तथा स्थल पर जाकर व्यक्तियों की अपने निर्माण को शमन कराने हेतु प्रयास करने पर प्राप्त हुई है। उक्त नियमित की गई 15 कालोनियों में कुल रु० 50.00 लाख की आय सम्भावित है जिस हेतु भी समय-2 पर कैम्प लगाकर प्रयास किये जायें।</p> <p>(ख) जो 15 कालोनियां प्राधिकरण द्वारा नियमित की गई हैं तथा जिनका भू-उपयोग आवासीय है। उसके अतिरिक्त एक कालोनी पार्वती लोक के नाम</p>	

हरिद्वार विकास प्राधिकरण, की 44वीं बोर्ड बैठक दिनांक 24-05-2008 का कार्यवृत्त ।

प्राधिकरण की 44वीं बोर्ड बैठक में दिनांक 24-05-2008 को अध्यक्ष/आयुक्त, गढ़वाल मण्डल की अध्यक्षता में केन्द्रीय नियन्त्रण कक्ष, मेला भवन हरिद्वार के समागमर में आयोजित की गयी :-

1. श्री सुभाष कुमार, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल
2. श्री आनन्द बर्द्धन, उपाध्यक्ष, ह०वि०प्रा०, हरिद्वार
3. श्री बृज बीरतन, एस०टी०सी०पी०, उत्तराखण्ड, देहरादून
4. श्री बी०एस०धनिक, ए.डी.एम. (जिलाधिकारी, हरिद्वार के प्रतिनिधि)
5. श्री कमल जौरा, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, हरिद्वार
6. श्री दीप शमा, अध्यक्ष, नगरपालिका, त्रिष्णुकेश
7. श्री वाई.के.गंगवार, पर्यटन अधि.हरि. (सचिव, पर्यटन के प्रतिनिधि)
8. श्री वी.के.टम्टा, मुख्य अभियन्ता, सिंचाई (सचिव, सिंचाई के प्रतिनिधि)

अध्यक्ष
उपाध्यक्ष
पदेन सदस्य
पदेन सदस्य
पदेन सदस्य
पदेन सदस्य
पदेन सदस्य
पदेन सदस्य
पदेन सदस्य

सर्वप्रथम हरिद्वार विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री आनन्द बर्द्धन द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् अध्यक्ष/आयुक्त महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई :-

मद संख्या-43 : प्राधिकरण की 43 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 21-07-2007 की कार्यवाही की पुष्टि एवं कार्यवृत्त का अनुपालन।

43वीं बोर्ड बैठक की कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई आपत्तियों एवं सुझाव नहीं प्राप्त हुए। बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन को बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया। 43वीं बोर्ड बैठक के मद सं0-43.13 हरिद्वार महायोजना-2025 के सम्बन्ध में कार्यवाही अपेक्षित है। अन्य समस्त प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाते हैं।

44. मद संख्या-1 : हरिद्वार विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2008-09 का प्रस्तावित आय-व्ययक।

वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत आय-व्ययक में राजस्व आय के विकास शुल्क मद में निर्धारित लक्ष्य रु० 160.00 लाख से बढ़ाकर रु० 225.00 लाख संशोधित करते हुए प्रस्तावित आय-व्ययक को सर्वसम्मति से बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

Secretary

Vice Chairman

Chairman/Commissioner

सहायक अभियन्ता उत्तरदायी होंगे।
 (घ) जिन अवैध कालोनियों का प्रस्तावित हरिद्वार महायोजना 2025 में भू-उपयोग आवासीय है उनके सम्बन्ध में नई महायोजना लागू होने के उपरान्त नियमितीकरण की कार्यवाही की जाये तथा जिन कालोनियों में वर्तमान में भू-उपयोग आवासीय है उनका नियमितीकरण तत्काल किया जाये। इस सम्बन्ध में पार्वतीलोक नामक एक कालोनी का उपाध्यक्ष के द्वारा उल्लेख किया गया, जो उपरोक्त के अतिरिक्त है तथा जिसका भू-उपयोग आवासीय है अतः इस कालोनी के नियमितीकरण के लिये तत्परतः से कार्यवाही की जाय।

से विकसित है जिसका भू-उपयोग आवासीय है। किन्तु इस कालोनी के सम्बन्ध में संज्ञान में आया है कि उक्त कालोनी में भू-स्वामित्व सम्बन्धी विवाद होने के कारण जिलाधिकारी महोदय द्वारा वर्ष 2006 में उक्त कालोनी के कुछ भूखण्डों को राज्य सम्पत्ति घोषित किया गया है। जिसके कारण उक्त कालोनी का नियमितीकरण नहीं किया गया है।

प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ प्रेषित है। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त है।

मद सं043(3)	प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2007–08 का प्रस्तावित आय-व्ययक	<p>वित्तीय वर्ष 2004–05 से 2006–07 तक वास्तवित आय –व्ययक का विवरण बोर्ड के समक्ष रखा गया था तथा वर्ष 2007–08 हेतु प्रस्तावित आय-व्ययक का विवरण भी बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। उपाध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि प्राधिकरण की आय व व्यय के मद में अप्रत्याशित वृद्धि का कारण इन्द्रलोक आवासीय योजना से प्राप्त होने वाली लगभग 122.00 करोड़ की धनराशि है। बोर्ड को यह भी अवगत कराया गया कि इसमें से लगभग ₹ 110.00 करोड़ की धनराशि आवेदकों को रिफण्ड की जा चुकी है। उक्त कारण से प्राधिकरण की कुल आय (प्रारम्भिक अवशेष को छोड़कर) ₹ 201.58 करोड़ प्रदर्शित की गई है तथा व्यय ₹ 183.90 करोड़ प्रदर्शित किया गया है। वास्तव में इन्द्रलोक आवासीय योजना के राजस्व की धनराशि को पृथक करते हुये प्राधिकरण की कुल आय 50.39 करोड़ होता है। बोर्ड को अवगत कराया गया कि इस वित्तीय वर्ष में ट्रांसपोर्ट नगर योजना से लगभग ₹ 12.00 करोड़, इन्द्रलोक आवासीय योजना से लगभग 18.00 करोड़ की आय सम्भावित है। प्राधिकरण द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर योजना पर लगभग 11.00 करोड़ व्यय किया जाना प्रस्तावित है। सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2007–08 का आय व्यय निम्नानुसार पारित किया गया:—</p>	<p>निर्णय के अनुपालन में स्वीकृत आय व्ययक के अनुसार कार्यवाही करते हुये अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2006–07 की बैलेश शीट संलग्नक-1 पर उपलब्ध है। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त है।</p>
-------------	--	---	---

आय	रु0 (लाख में)
प्रारम्भिक अवशेष	13352.13
राजस्व आय	745.00
पूंजीगत आय	6061.00
कुल आय	6860.00
कुल आय(प्रारम्भिक अवशेष सहित)	20158.13
व्ययः—	
राजस्व व्यय	250.00
पूंजीगत व्यय	18140.50
कुल व्यय	18390.50
अन्तिम अवशेष	1767.63

उपरोक्तानुसार आय -व्ययक की स्वीकृति के सचाथ—साथ बोर्ड द्वारा विकास शुल्क एवं शमन शुल्क में प्रस्तावित आये के लक्ष्य से अधिक लक्ष्य प्राप्त करने की अपेक्षा की गयी। प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा यह भी निद्रश दिये गये है कि आगामी बोर्ड बैठक में प्राणिकरण की बैलेंश शीट बोर्ड के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जाये।

मद सं0
43(4)

इन्द्रलोक आवासीय
योजना भाग—दो में
ग्रुप हाउसिंग

बोर्ड को अवगत कराया गया कि प्राधिकरण की इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग—दो में ग्रुप हाउसिंग के कुल 6 भूखण्ड हैं जिनकी मुहरबन्द निविदाओं के माध्यम से नीलामी कराने का निर्णय पूर्व में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिया गया हैं इस सम्बन्ध में सील्ड टेक्निकल तथा फाइनेंशियल बिड आमंत्रित की गई किन्तु टेक्निकल बिड्स के परीक्षण के समय कई निविदाओं की टेक्निकल बिड्स अहताये न पूण होने के कारण निरस्त की दी गयी। अन्त में प्रत्येक प्लाट के सापेक्ष केवल एक—एक निविदावाता ही उपलब्ध हो सके थे अतः सन्दर्भित निविदायें अव्यक्त / आसुन्दर महोदय

निर्णय के अनुपालन में कार्यवाही की जा रही है। इस योजना हेतु अलग से एजेण्डा मद संख्या— 04 पर विस्तृत टिप्पणी प्रस्तुत है। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।

		<p>द्वारा निरस्त की दी गयी। प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष टेक्निकल बिड कमेटी की संस्तुतियां प्रस्तुत की गयी, जिसके अनुसार पुनः प्रस्तावित प्रक्रिया में बिड्स को कुछ शिथिलता दिया जाना प्रस्तावित है। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा टेक्निकल बिड्स कमेटी के द्वारा प्रस्तावित संशोधनों का अनुमोदन किया गया। इसके अतिरिक्त निम्न निर्णय भी लिये गये:—</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) निविदिताता का आर०एव०डी० में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। (2) जहां तक स्टाफ तथा टूल्स एण्ड प्लान्ट्स का प्रश्न है यह भी स्वीकृति प्रदान की गयी कि निविदिता स्टाफ टूल्स एण्ड प्लान्ट्स के लिये किसी अन्य फर्म को Co-opt कर सकता है। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उपरोक्त स्वीकृति के साथ पुनः सील्ड टेक्निकल व फाइनेन्शियल बिड्स आमन्त्रित करके उनका प्रक्रिया अनुसार निस्तारित करते हुये अन्तिम निर्णय हेतु अध्यक्ष/आयुक्त महोदय को अधिकृत किया गया। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया। 	
मद सं0-43(5)	प्राधिकरण की योजनाओं में व्यवसायिक व अन्य सम्पत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया विषयक प्रस्ताव	<p>प्राधिकरण की योजनाओं में व्यवसायिक तथा अन्य सम्पत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया था तभी सभी सम्बन्धित शासनादेशों को बोर्ड द्वारा अंगीकृत मानते हुये अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। प्राधिकरण की ओर से वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में विचार विमर्श के उपरान्त बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि मंसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण में प्रतिनिधायन संबंधित आदेश निर्गत हुये हैं उनका अध्यायन करके हरियाल विकास प्राधिकरण के</p>	निर्णय के अनुपालन में अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन उपरान्त प्राधिकरण की योजना के संबंध में अध्यक्ष महोदय को अन्तिम निर्णय हेतु अधिकृत कर दिया गया है। जिसके अनुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त है।

		<p>लिये वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रतिनिधायन के लिए अध्यक्ष/आयुक्त महोदय को अन्तिम रूप से अधिकृत कर दिया जाये। सम्पत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में अब ऐसे प्रकरण बोर्ड बैठक में लाने की आवश्यकता नहीं होगी तथा जिस विषय पर भी प्राधिकरण को मां दर्शन की आवश्यकता हो उस सम्बन्ध में अध्यक्ष/आयुक्त महोदय को निर्णय लने हेतु अधिकृत किया गया। अतः यदि आवश्यकता हो तो पत्रावली पर विशेष परिस्थितियों में आयुक्त/अध्यक्ष महोदय से अनुमोदन प्राप्त किया जाये।</p>	
मद सं43(6)	प्राधिकरण उपयोगार्थ लैण्ड बैंक का प्रस्ताव	<p>प्राधिकरण द्वारा नगरपालिका परिषद्, हरिद्वार की भूमि प्राधिकरण को विक्रय करने के चार प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखे गये। अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद्, हरिद्वार द्वारा अवगत कराया गया कि इन प्रस्तावों पर सहमति देने में कठिनाई है क्योंकि शासन के नगर विकास विभाग द्वारा इन सीलों को उत्तरांचल जल संस्थान की योजनाओं के लिये चयनित कर लिया गया है।</p> <p>सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी, हरिद्वार व उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण संयुक्त रूप से शासकीय व अन्य भूमि की उपलब्धता एवं उपायुक्ता के बारे में परस्पर चर्चा करके सहमति बना लें तथा उक्त सहमति के आधार पर भूमि क्रय करने अथवा भूमि अध्यापि के प्रस्ताव तैयार कराकर उन पर कार्यवाही की जाये। आयुक्त/अध्यक्ष महोदय को इन प्रस्तावों पर अन्तिम निर्णय पदान करने हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत</p>	<p>बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण एवं जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा संयुक्त रूप से सहमति के आधार पर निम्न भूमि हस्तांतरण हेतु चिन्हित की गयी है।</p> <p>1— सलेमपुर महदूद-1, खसरा नं0-301, रकबा-30.00, श्रेणी-6-1</p> <p>2— सजनपुर पीली, खसरा नं0-8/8, रकबा-19.728, श्रेणी-5-3ख एवं खसरा नं0-9, रकबा-9.434, श्रेणी-6-1</p> <p>सरकारी भूमि का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। जिसकी प्रति संलग्नक-2 पर</p>

		भूमि का प्रस्ताव किया जाये वह महायोजना के प्राविधानों के अनुरूप हो। इस निर्णय के साथ प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।	
मद सं0 43(7)	हरिपुर कलां, जिला देहरादून के खसरा नम्बर-92 (ख) दिल्ली नीतिपास रोड पर बी0पी0 कारपोरेशन लि0 के निर्माण हेतु। श्री मंजीत जौहर के आवेदन पर विचार	<p>श्री मंजीत जौहर द्वारा हरिपुर कलां, देहरादून स्थित खसरा नम्बर 92 मि0 पर पैट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु आवेदन किया गया था किन्तु पक्षकार द्वारा अनुमति से पूर्व निर्माण कार्या प्रारम्भ करने पर उसके विरुद्ध अधिनियम की धारा -27/28 के अन्तर्गत वार संख्या 242/2006-07 योजित किया गया। सम्यक विचारोपरान्त इस प्रकरण पर बोर्ड द्वारा निम्न निर्णय लिये गये:</p> <p>(1) प्रकरण का शासनादेशों के परिपेक्ष्य में परीक्षण कर लिया जाये।</p> <p>(2) इस प्रकरण पर एस0टी0सी0पी0 का स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि उक्त पैट्रोल पम्प के प्रकरण में समस्त शासनादेशों के प्राविधानों का पालन किया गया है। अथवा नहीं।</p> <p>(3) जिलाधिकारी-हरिद्वार एवं उपाध्यक्ष, ह0वि0प्रा0 की संयुक्त रिपोर्ट का भी अध्ययन किया जाये।</p> <p>प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण का उपरोक्तानुसार परीक्षण कर लिया जाये तथा इस पर निर्णय लेने हेतु अध्यक्ष/आयुक्त महोदय को अधिकृत किया जाये। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।</p>	निर्णय के अनुपालन में कार्यालय सहयुक्त नियोजक, गढ़वाल समाजीय नियोजन खण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तराखण्ड से दि0 28.11.07 को पत्रांक 1331 दि0 द्वारा आख्या प्राप्त है। जिसमें जांचोपरान्त प्रश्ननगत मानचित्र मानकों के अनुसार सही पाया गया। शमन संबंधी अग्रेतर कार्यावाही की जा रही है। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त है।
मद सं0 43(8)	ऋषिकेश क्षेत्र में विवादित खसरों के सम्बन्ध में।	ऋषिकेश नगर के विवादित खसरा नम्बर 74,84,218,276,279 तथा 298 के सम्बन्ध में Z.A & L.R.Act के तहत बड़ा भू-भाग विवादित	निर्णय के अनुसार कार्यावाही की जा रही है। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त है।

		<p>है। इसमें स्थगनादेश के कारण मानचित्रों की स्वीकृति पर रोक लगायी गयी थी। दिनांक 7.02.1998 की बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि इस क्षेत्र के मानचित्रों की स्वीकृति के लिए राजस्व विभाग की अनापत्ति अनिवार्य होगी। प्राधिकरण बोर्ड को अवगत कराया गया कि ऋषिकेश क्षेत्र में विवादित खसरों के सम्बन्ध में मौके पर यह स्पष्ट नहीं हो सकता है कि किस पक्ष की भूमि कहाँ पर स्थित है। अतः यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण को वर्तमान में स्थगित रख जाये। यह भी निर्णय लिया गया है कि चंकि परगनाधिकारी ऋषिकेश को मानचित्रों से सम्बन्धित अधिकारों का प्रतिनिधायन किया जा चुका है। अतः वे ऋषिकेश से सम्बन्धित मानचित्रों के कम में विधिक व स्थलीय स्थिति देखते हुए कार्यवाही करें।</p> <p>इस observation के साथ प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।</p>	
मद सं0 43(9)	हरिद्वार विकास प्राधिकरण में आवश्यक स्टाफ हेतु पद सृजन का प्रस्ताव	बोर्ड को अवगत कराया गया कि हरिद्वार विकास प्राधिकरण में वर्तमान में 49 पद स्वीकृत हैं, जिनके सापेक्ष 14 पद रिक्त हैं। उपसचिव, अधिशासी अभियन्ता, नगर नियोजक इ, सहायक नगर नियोजक, वास्तुविद सहायक, मुख्य वित्त अधिकारी, लेखाकार, कायाग्रलय अधीक्षक, आशुलिपिक तथा विधि पिनरीक्षक/सहायक का एक पद—एक पद इस समय रिक्त है। सहायक	बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में पद सृजन का प्रस्ताव कार्यालय पत्र सं0 –2071 दिनांक 17.08.07 एवं सं0 2434 दिनांक 25.09.07 तथा सं0 2070 दिनांक 17.08.07 द्वारा अनुरोध पत्र शासन को प्रेषित किये गये हैं। प्रकरण

एजेण्डा मद से समाप्त है।

अभियन्ता के 4 पदों के सापेक्ष 3 पद रिक्त हैं। तथा अवर अभियन्ताओं के 6 पदों के सापेक्ष 2 पद रिक्त हैं। प्राधिकरण में इस समय एक सहायक अभियन्ता, 3 अवर अभियन्ताओं के 6 पदों के सापेक्ष 2 पद रिक्त हैं। प्राधिकरण में इस समय एक सहायक अभियन्ता, 3 अवर कार्य लिया जा रहा है। एक अवर अभियन्ता ऋषिकेश में तैनात है, एक अवर अभियन्ता निर्माण कार्य देख रहे हैं तथा कुल मिलाकर केवल एक ही अवर अभियन्ता कार्य करने हेतु अवशेष रह जाते हैं क्योंकि एक अवर अभियन्ता टैप केस के कारण लिनम्बित चल रहे हैं। इसी प्रकार प्राधिकरण में नियोजन अनुभाग का कार्य केवल 2-2 मानचित्रकारों एवं सर्वयरों तथा ट्रेसर के द्वारा चलाया जा रहा है। लेखानुभाग में केवल एक कैशियर उपलब्ध है। इस प्रकार प्राधिकरण की **Regulatory and mandatory** गत विधियों के क्रियान्वयन में स्टाफ की भारी समस्या है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष नियुक्ति के लिए शासन से बार-बार अनुरोध किया गया हैं किन्तु प्रदेश स्तर पर स्टाफ की कमी के कारण प्राधिकरण को आवश्यक काम चलाउ स्टाफ भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अपर सचिव सिंचाइ द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि सिंचाइ विभाग से भी अधिशासी अभियन्ता सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता को प्रतिनियुक्ति पर उपलब्ध कराया जा सकता है। किन्तु ऐसे प्रकरणों में यह अपेक्षा की जाती है कि प्रतिनियुक्ति पर लिए जाने वाले अधिकारी / कर्मचारी को वर्तमान स्तर से एक स्तर के उपर का पद प्रतिनियुक्ति पर आफर किया जाय। बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में सिंचाइ विभाग से पत्राचार

करते हुये प्राधिकरण में अभियन्त्रण स्टाफ की कमी को दूर करने का प्रयास किया जाय।
 प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष स्टाफ की कमी का उल्लेख करते हुए विभिन्न अनुभागों में नये पदों हेतु सम्यक विचारोपरान्त निम्न पदों के सृजन के लिए सहमति प्रदान की गयी।

1. अवर अभियन्ता	04 पद
2. सहायक नगर नियोजक	01 पद
3. वास्तुविद सहायक	01 पद
4. ट्रेसर	01 पद
5. सर्वेयर	01 पद
6. लेखा लिपिक	02 पद
7. सम्पत्ति अधिकारी	01 पद

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त पदों के सृजन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय तथा आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए अकेन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों की outsourcing के माध्यम से व्यवस्था की जाय।
 प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।

मद सं 43(10)	<p>प्राधिकरण में अकेन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों का स्थायीकरण किए जाने के सम्बन्ध में।</p>	<p>बोर्ड को अवगत कराया गया कि शासनादेश संख्या 1082-01/11.04.1987 दिनांक 20.06.1987 के द्वारा अकेन्द्रीयित सेवा के पदों पर नियुक्ति/पदोन्नति/स्थायीकरण तथा दक्षता रोक पार करने आदि के समस्त अधिकार सम्बन्धित प्राधिकरण के उपाध्यक्ष में निहित हो गये थे। तथा उक्त शासनादेश में शासन द्वारा यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि अकेन्द्रीयित सेवा के अधिक्षान सम्बन्धित कोई भी मामला</p>	<p>बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त है।</p>
--------------	---	---	--

		<p>शासन को सन्दर्भित न किया जाय शासन द्वारा केन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों / अधिकारियों के स्थायीकरण की कार्यवाही समय—समय पर की जाती रही है। परन्तु अकेन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों का स्थायीकरण अभी तक नहीं किया गया है।</p> <p>अकेन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों के स्थायीकरण हेतु उपरोक्त शासनादेश के अन्तर्गत उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया है अतः प्राधिकरण के अकेन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों को उनके सेवा अभिलेखों का परक्षण करते हुए नियमानुसार स्थायी करने की कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के संज्ञानार्थ प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा इसका संज्ञान लेते हुए प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया है।</p>	
मद सं0 43(11)	प्राधिकरण अधिवक्ता अनुबन्ध के आधार पर के पारिश्रमिक बढाये जाने के समबन्ध में।	<p>प्राधिकरण बोर्ड को अवगत कराया गया कि प्राधिकरण में विधिक कार्य हेतु श्री गोपालकृष्ण शर्मा को अनुबन्ध पर रखा गया है। दिनांक 21.12.99 में उनके अनुबन्ध की दरें रूपया 6000—00 छ: हजार प्रतिमाह निर्धारित की गयी थी। प्राधिकरण बोर्ड से अनुरोध किया गया कि वर्तमान परिस्थितियों में यह धनराशि अत्यधिक कम है। अतः श्री शर्मा के अनबन्ध की दरों को बढ़ाकर रूपया 10,000—00 दस हजार प्रतिमाह कर दिया जाय। बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त प्रस्ताव को अस्थायी रूप से अग्रिम आदेशों तक बढ़ाने की सहमति-प्रदान की गयी।</p>	बोर्ड के निर्णय के अनुपलन कार्यवाही की जा रही है पकरण एजेण्डा मद से समाप्त है।

मद सं 43(12)	सचिव हरिद्वार विकास प्राधिकरण के निवास की स्वीकृत किराये की धनराशि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।	<p>हरिद्वार विकास प्राधिकरण में सचिव के निवास हेतु प्राधिकरण की ओर से कोई आवास सुविधा नहीं है। तथा सचिव के प्राधिकरण की 19वीं बोर्ड बैठक दिनांक 29.09.93 को सचिव आवास का किराया रूपया 2000/- प्रति माह प्राधिकरण से वहन करने तथा सचिव के घेतन से 10 प्रतिशत की कटौती का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया था। प्राधिकरण के समक्ष प्रस्ताव रखा गया कि सचिव के आवास हेतु किराये की धनराशि की सीमा रूपया 2000 से बढ़ाकर रूपया 500.00 पांच हजार स्वीकृत कर दी जाय। सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी। तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।</p>	<p>बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त है।</p>
मद सं 43(13)	हरिद्वार विकास क्षेत्र की महायोजना भग—अ प्रारूप –2025 पर चर्चा	<p>हरिद्वार विकास क्षेत्र की प्रस्तावित महायोजना भाग—अ प्रारूप 2025 कई स्थानों पर जनसाधारण के अवगतार्थ प्रदर्शित किया गया। आपत्तियों के प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 10 जुलाई 2007 थी एस0टी0सी0पी0 द्वारा अवगत कराया गया कि विभिन्न स्थानों एवं कायलयों में प्राप्त कुल आपत्तियों की संख्या लगभग –600 है। जिनकी सूनवाई प्राधिकरण द्वारा गठित एक समिति द्वारा की जानी है। एस0टी0सी0पी0 द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि इस समिति में केवल तीन सदस्य नामित किए जा सकते हैं। सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित महायोजना की आपत्तियों की सूनवाई हेतु समिति का गठन निम्नवत् किया गया—</p> <ol style="list-style-type: none"> उपाध्यक्ष ह0वि0प्रा0, हरिद्वार, अध्यक्ष (आवश्यकतानुसार वे अपने स्थान पर सचिव ह0वि0प्रा0 को समिति की अध्यक्षता के लिए नामित कर सकेंगे।) 	<p>बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में सी0टी0सी0पी0 उत्तराखण्ड देहरादून को आपत्तियों की सूनवाई हेतु तिथि निर्धारित करने के संदर्भ में इस कार्यालय द्वारा पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कार्यवाही अपेक्षित है।</p>

		<p>2. एस०टी०सी०पी०(उत्तराखण्ड) सदस्य द्वारा नामित प्रतिनिधि—</p> <p>3. शासन के आवास विभाग द्वारा नामित सदस्य प्रतिनिधि</p> <p>उपरोक्त के अतिरिक्त जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा नामित एक प्रतिनिधि, नगर पालिका परिषद हरिद्वार के अधिकारी अधिकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारी हरिद्वार को समिति में यथावश्यकता आपत्तियों की सुनवाई के लिए आमन्त्रित करने के लिये उन्हे विशेष आमन्त्रित के रूप में सम्मिलित करने के प्रस्ताव बार्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।</p> <p>प्राधिकरण बोर्ड द्वारा यह भी निदेश दिए गए कि एस०टी०सी०पी० शीघ्र आपत्तियों की क्षेत्र एवं विषयवार लिस्टिंग कर लें तथा यथाशीघ्र समिति द्वारा आपत्तियों की सुनवाई की जाय।</p>	
मद सं० 43(14)	अधिनियम की धारा 28क-2 के अधीन सील खेले जाने के शुल्क के निर्धारण का प्रस्ताव	<p>बोर्ड को अवगत कराया गया कि हरिद्वार विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत अनाधिकृत निर्माणों पर अंकुश लगाये जाने हेतु उत्तरांचल / उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 28-क-1 के अधीन सील लगाये जाने का प्राविधान है। उक्त अधिनियम की धारा 28क-2 के अधीन अधिनियम में प्राविधान के अधीन निर्माण की सील आवश्यक कारण पाये जाने पर खोल जाने का प्राविधान हैं परन्तु अधिनियम में साल खोले जाने के शुल्क का प्राविधान नहीं है। अतः अनाधिकृत निर्माण की सील प्रक्रिया में हुए व्यय के आधार पर सील शुल्क निर्धारण किए जाने का निम्न प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखा गया।</p> <p>1—100 वर्गमीटर तक के भूखण्ड / भवन हेतु रु० ५०००/-</p>	<p>बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में कार्यवाही की जा रही है। मद एजेण्डा से समाप्त है।</p>

		<p>2-101 वर्गमीटर से 200 वर्गमीटर तक भूखण्ड/भवन हेतु रूपया-10,000-00 3- 201 वर्गमीटर से 300 वर्गमीटर तक भूखण्ड/भवन हेतु रु 15,000-00 4- 301 वर्गमीटर से अधिक भूखण्ड/भवन हेतु 5000:- प्रति 100 वर्गमीटर के योग पर। बोर्ड द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत करते हुए एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।</p>	
मद सं0 43(15)	नजूल -नीति, आवास नीति तथा भू-माफियाओं पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में विचारणीय बिन्दु।	<p>नजूल नीति, आवास नीति तापि भू-माफियाओं पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में कुछ प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखे गये। विचार विमर्श के उपरान्त यह पाया गया कि प्रस्ताव शासन स्तर का है। अतः बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि इन प्रस्तावों को प्राधिकरण के बोर्ड की सहमति मानते हुए शासन को विचारार्थ शासन को प्रेषित किया जाए। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त।</p>	निर्णय के अनुपालन में प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त है।
मद सं0 43(16)	प्राधिकरण वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलामी पर विचार।	<p>प्राधिकरण की जिस्सी संख्या यू०पी०-१०बी-९३३३ जिसका मांडल 1997 का है। एवं एम्बेस्डर कार सं० यू०पी०-१०डी-१५०० जिसका मांडल वर्ष 1999 का है। के बारे में बोर्ड को अवगत कराया गया कि उक्त दोनों वाहन निष्प्रयोज्य घोषित किया जाता है। प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष दोनों वाहनों के स्थान पर नये वाहन क्रय करने का प्रस्ताव रखा गया जिसके लिए आय-व्ययक में प्रावधान किया गया है। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि वाहनों अध्यक्ष/आयुक्त महोदय के स्तर से निष्प्रयोज्य घोषित करने के की कार्यवाही की जाए तथा जो भी वाहन आयुक्त/अध्यक्ष महोदय द्वारा निष्प्रयोज्य किये जाते हैं उनके स्थान पर नये वाहन क्रय करने के लिए भी अनुमति प्रदान करने के लिए</p>	निर्णय के अनुपालन में कार्यवाही की जा रही है प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त है।

		अधिकृत कर दिया जाए। उपरोक्त निर्णय के साथ एजेंडा मद से समाप्त किया गया।	
मद सं0 43(17)	विनियमित क्षेत्र विकास प्राधिकरण के 20 वर्ष से अधिक के रिकार्ड को बीडिंग किए जाने पर विचार।	<p>हरिद्वार विकार प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी। शासनादेश संख्या 3039/सैतांलिस -192-37(1)/84 दिनांक 30 जनवरी 1993 में अभिलेखों की बीडिंग के प्राविधान निर्धारित किए गये हैं। सूचना अधिकर अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत 20 वर्षों तक के अभिलेखों को बनाये रखना आवश्यक है। अतः प्राधिकरण के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया कि शासनादेश के क्रम में अभिलेखों की आवश्यकता व अनावश्यकता के बोर में निर्णय लेते हुए समाचार पत्रों में सूचना देते हुए अभिलेखों का बीडिंग करा दिया जाय। उक्त विषयक पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निम्न निर्णय लिए गये-</p> <p>1— बीडिंग की प्रक्रिया से सम्बन्धित शासनादेशों की समुचित जानकारी सम्बन्धित कार्यालय एवं अधिकारी से प्राप्त कीर ली जाय।</p> <p>2—पर्याप्त मार्ग दर्शन प्राप्त करने के उपरान्त यह निर्धारित किया जाय कि किन अभिलेखों की बीडिंग की जानी है।</p> <p>3— जो अभिलेख सुरक्षित रखे जाने हैं उन्हे scan करके उनकी सीडी बनवाने पर विचार किया जाय। बीडिंग से सम्बन्धित सभी शासनादेश प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा विधिवत् अंगीकृत मान लिए जाय।</p> <p>उपरोक्त निर्णय के साथ प्रकरण एजेंडा मद से समाप्त किया जाय।</p>	<p>निर्णय के अनुपालन में रिकार्ड बिडिंग किये जाने हेतु एक समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा रिकार्ड स्कीनिंग की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। एजेंडा मद से समाप्त है।</p>
मद सं0 43(18)	स्टाफिंग पैटर्न के समन्वय में वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या	बोर्ड को अवगत कराया गया कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-110/xxv11(7)/2006 दिनांक 29 जून 2006 में स्टाफिंग पैटर्न के	बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण एजेंडा मद से समाप्त है।

	<p>—110 दिनांक 29 जून 2006 को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।</p>	<p>आधार पर आशुलिपिक संवर्ग में पदोन्नति के अवसर प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त संवर्ग के विभिन्न स्तरों पर पदों का अनुपातिक प्रतिशत 50:30:15:5 रखते हुए उनका पदनाम क्रमशः आशुलिपिक ग्रेट-2, आशुलिपिक ग्रेड -1, वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2 तथा वैयक्तिक सहायक ग्रेड -1 कर दिया जाए एवं चारों श्रेणी के पदों का वेतनमान क्रमशः 4000—6000 रु0—5000—8000, रु0 5500—9000 तथा रु0 6500—10500 रखा जाय। उक्त शासनादेश को प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत किए जाने का अनुरोध किया गया। सच्चक विचारोपरान्त उपरोक्त शासनादेश बोर्ड द्वारा अंगीकृत करते हुए प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।</p>	
मद सं0 43(19)	<p>जगतवीर इण्डिया पेपर लिमिटेड, ऋषिकेश से सम्बन्धित मानचित्र संख्या—84/05—06,89 /2006—07 के सन्दर्भ में शमन पर विचार।</p>	<p>जगतवीर पेपर इण्डिया लिलो घुघत्याणी तलली तपोवन, जिला टिहरी गढवाल द्वारा मानचित्र सं0 104/95—96 तथा मानचित्र संख्या—31/96—97 में स्वीकृत कराया गया था तथा संशोधित मानचित्र संख्या 69/2004—05 में स्वीकृत हुआ था। उक्त स्थल गंगा नदी तट से 200 मीटर के भीतर था तथा स्वीकृति से भिन्न निर्माण होने के कारण प्राधिकरण द्वारा धारा 27/28 की इस प्रकरण में कार्यवाही की गयी।</p> <p>सम्बन्धित पक्षकार द्वारा अपने प्रत्यावेदन में कहा गया है कि उनके Heritage Retreat/Heritage village द्वारा बनाया जा रहा है तथा उसका sewer Discharge</p>	<p>बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण एजेण्डा पद से समाप्त है।</p>

एवं अन्य Waste गंगा नदी में न जाने पाये इसकी व्यवस्था की जा रही है। इसके सम्बन्ध में पक्ष के प्रतिनिधि प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष उपस्थित हुए तथा उन्होंने बोर्ड को अवगत कराया कि उनके द्वारा इस योजना में अत्याधुनिक तकनीकी से Sewage तथा अन्य Wastage को निरस्तारित करने को प्रोजेक्ट बनाया गया है जिससे गंगा नदी में प्रदूषण नहीं होगा उनके द्वारा स्वीकृति से भिन्ना किए गये निर्माण को शमनीत करने का आवेदन किया गया।

प्राधिकरण के समक्ष यह तथ्य रखा गया कि शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 17.07.2007 को हुई बैठक में गंगा नदी से 200 मीटर के भीतर कतिपय कार्यों पर छूट इत्यादि कुछ शर्तों के साथ देने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।--

सम्यक विचार विमार्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि 200मीटर क्षेत्र में मानचित्र स्वीकृति के लिए प्रकरण शासन में विचाराधीन है। अतः शासन के निर्णय तक ऐसे प्रकरणों को सीमित रखा जाय एवं इस सम्बन्ध में केवल शासन के निर्णय के अनुरूप ही कार्यवाही की जाय। उपरोक्त निर्णय के साथ प्रकरण एजेंडा मद से समाप्त किया गया।

तद सं0 43(20)	सप्तऋषि चुंगी से ऋषिकेश तक महायोजना 2011 के साथ-साथ महायोजना 2025 के समाप्तिकाल तक हरिद्वार किए जाने	बोर्ड को अवगत कराया गया कि ऋषिकेश की महायोजना 2011 तक के लिए स्वीकृत है तथा इसमें मोतीचूर नदी से हरिद्वार की ओर हरिपुरकलों व सप्तऋषि तक उसके आस-पास का क्षेत्र स्वीकृत महायोजना मानचित्र में प्रदर्शित है। प्रस्तावित हरिद्वार महायोजना भाग-अ-2025	बोर्ड निर्णय के अनुपालन में कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण एजेंडा मद से समाप्त है।
------------------	--	--	--

	के सम्बन्ध में	<p>में भी मोतीचूर नदी से हरिद्वार की ओर स्थित सप्तऋषि आश्रम, हरिपुरकलां तथा देव संस्कृति विद्यालय एवं उसके आस-पास का क्षेत्र प्रदर्शित है। उल्लेखनीय है कि जो क्षेत्र ऋषिकेश महायोजना में 2011 तक के लिए समिलित है उसकी का कृच्छ भाग हरिद्वार महायोजना भाग-अ-2025 के प्रस्तावित महायोजना में भी समिलित है। इस प्रकार ऋषिकेश की 2011 तक स्वीकृत महायोजना तथा हरिद्वार की प्रस्तावित महायोजना 2025 में कुछ ऐसे भू-भाग हैं जो कदाचित ओवरलैपिंग हैं।</p> <p>उक्त प्रकरण पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विचार करने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि हरिद्वार महायोजना भाग-अ-2025 लागू होने के उपरान्त ओवरलैपिंग क्षेत्र में वर्तमान में लागू ऋषिकेश महायोजना के अनुसार कार्यवाही की जाय तथा जिस समय हरिद्वार म०यो०-2025 लागू होगी उस समय इस क्षेत्र में ऋषिकेश महायोजना स्वतः समाप्त मानी जायेगी। उपरोक्त निर्णय के साथ प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।</p>	
मद सं० 43(21)	प्रस्तावित महायोजना-2025 के दृष्टिगत रखते हुए हरिद्वार में लागू पुरानी महायोजना के अन्तर्गत मानवित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।	<p>बोर्ड को अवगत कराया गया कि हरिद्वार में लागू पुरानी महायोजना में ऐसे क्षेत्र हैं। जो वर्तमान में आवासीय है। किन्तु प्रस्तावित महायोजना में उनका भू-उपयोग Public Utilities जैसे बस अड्डा आदि के लिए प्रस्तावित है। अतः ऐसी परिस्थितियों में वर्तमान महायोजना के अनुसार मानवित्र स्वीकृत करने में प्रस्तावित महायोजना के क्रियान्वयन में व्यवहारिक कठिनाईयां आ सकती हैं। सम्यक विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि पुरानी महायोजना के अनुसार ही मानवित्र की स्वीकृति प्रदान की जाय। किन्तु</p> <p>बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त है।</p>	

जिन प्रकरणों में हरिद्वार महायोजना 2025 की महत्वपूर्ण **Public Utilities** प्रभावित हो सकती हैं, उनमें उपाध्यक्ष को ख विवेक से ऐसे प्रकरणों में कार्यवाही स्थगित करने की के लिए प्राधिकृत कर दिया जाय। उपरोक्त निर्णय के साथ प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।

मद सं
43(22)

हरिद्वार विकास प्राधिकरण में कार्मिकों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरणों में कार्मिकों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति का प्रकरण काफी समय से विचाराधीन है। इस विषय पर मंसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा कार्मिकों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है। बोर्ड के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया कि जो प्रस्ताव मंसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा शासन को भेजा गया है। उसी को हरिद्वार विकास प्राधिकरण के बोर्ड से पारित मानते हुए शासन से यह अनुरोध किया गया कि कार्मिकों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में एक रूपता रखते हुए शासनादेश जारी होने उचित होगा। शासनादेश प्राप्त होने पर उसे बोर्ड से अंगीकृत मानते हुए कार्मिकों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति सुविधा उपलब्ध करायी जाय। प्रस्ताव उपरोक्तानुसार अनुमोदित करते हुए प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।

मद सं
43(23)

अन्य विषय – अध्यक्ष की अनुमति से रोड वाईडनिंग में प्राधिकरण की स्थापना से पूर्व बने भवनों के उपर निर्माण कार्य के सम्बन्ध में अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में प्रस्ताव कार्यालय के पत्रांक 2072 दि 0 17.08.07 द्वारा शासन को प्रेषित कर दिया गया है। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त है।

बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त है।

Chartered Accountants
 Mohan Kutir
 Lanyas Road, Kankhal
 Haridwar-249408
 Ph.: 01334 244510, 242510

56

सलगनक-१

हारिद्वार की नगर बोर्ड द्वारा दिया गया, 25-५-०४. वा. हिस्सा

Hardwar Development Authority

Balance Sheet as on 31st March, 2007

<u>Previous Year Liabilities</u> 31/03/2006	<u>Amount</u>	<u>Previous Year Assets</u> 31/03/2006	<u>Amount</u>
Reserve Surplus 103,832,521.42 (As Per Annexure "A")	114,813,042.57	Fixed Assets 10,000,452.01 (As Per Annexure "F")	46,782,361.01
Grant in Aid 6,066,713.67 (As Per Annexure "B")	3,484,133.67	Investment 635,384.50 (As Per Ann."G")	1,259,037,374.00
63,279,699.20 Infrastructure Dev. Fund a/c (As Per Annexure "C")	110,762,362.20	Current Assets Loan & advances Current Assets	
61,224,694.00 Amount Received Against Residential Scheme (As Per Ann."D")	93,204,784.00	Work In Progress (As Per Ann."H")	206,334,198.96
6,795,477.81 Current Liabilities & Advances (As Per Annexure "E")	1,270,121,050.81	Loan and Advances 470,364.98 Advance Against Work 597,676.00 Advance to Staff 115,650.00 Security Telephone	519,097.98 434,560.00 115,650.00
		Cash & Bank Balance 28,607,693.21 (As Per Ann."I")	79,162,131.30
241,199,106.10	1,592,385,373.25	241,199,106.10	1,592,385,373.25

Dated:- 28/10/07
 Place:- Hardwar

Auditor's Report:
 As per our separate report of even date attached.

For Girish Mehan Associates
 Chartered Accountants
 (Girish Kumar Mohan)

Girish Mohan Associates
 Chartered Accountants
 Mohan Kutir
 Sanyas Road, Kankhal
 Haridwar-249408
 Ph.: 01334 244510, 242510

Hardwar Development Authority

57


Income and Expenditure account for the year ended 31st March, 2007

<u>Amount</u> <u>31/03/2006</u>	<u>Particulars</u>	<u>Amount</u> <u>31/03/2006</u>	<u>Amount</u> <u>31/03/2006</u>	<u>Particulars</u>	<u>Amount</u>
5404924.00	To Salary	6,234,816.00	3783973.00	By Map Fees	717,958.00
7529.00	To Machinery Repair and Maint.	21,698.00	1048504.00	By Development Fees	1,575,971.00
68395.00	To Travelling Expenses	56,625.00	4979860.50	By Compounding Fees	4,658,638.00
32088.00	To Computer Repair and Maint.	45,002.00	104112.50	By Free Holds Lease Rent	166,566.00
163579.00	To Vehicle Maint.	183,916.00	204185.00	By Misc.Receipts	346,959.00
638747.00	To Vehicle Petrol Expenses	847,167.00	719284.00	By Supervision fees	1,253,030.00
16042.00	To Postage Expenses	15,083.00	1345598.60	By Stamp Duty	2,568,598.00
101393.00	To General/Misc.Expenses	89,952.00	1368826.73	By Bank and Other Interest	841,582.88
171173.00	To Legal Expenses	261,047.00	528302.00	By Stacking Fees	690,477.00
94929.00	To Advertisement Expenses	96,846.00	6266116.00	By Shivlok	411,991.00
4367.00	To Pension Contribution	112,249.00	2938494.00	By Rishilok	230,029.00
196636.00	To Guest Welfare	63,352.00	589705.00	By Harilok Maintenance	307,688.00
32551.00			179522.00	By Land Use Conversion	447,090.00
481373.00			253335.20	By Books Sale	9,797,727.00
			147200.00	By Haritma	1,380,953.00
			1233534.00	Balance c/f	25,395,257.88
7,413,726.00	Balance c/f	8,027,753.00	25,690,552.53		

Contd...next page

Dated:- 28/10/07
 Place:- Hardwar

Auditor's Report:
 As per our separate report of even date attached.

For Girish Mohan Associates
 Chartered Accountants

 (Girish Kumar Mohan)

Girish Mohan Associates
 Chartered Accountants
Mohan Kutir
 Sanyas Road, Kankhal
 Haridwar-249408
 Ph.: 01334 244510, 242510

Hardwar Development Authority

Income and Expenditure account for the year ended 31st March, 2007

Amount <u>31/03/2006</u>	Particulars	Amount <u>31/03/2006</u>	Amount <u>31/03/2006</u>	Particulars	Amount
7,413,726.00	Balance b/f	8,027,753.00	25,690,552.53	Balance b/f	25,395,257.88
98813.00	To Stationary Expenses	142,159.00		By Information Fees	2,006.00
44050.00	To Printing Expenses	64,816.00		By Subdivision Fess	3,933,287.00
120396.00	To Telephone Expenses	132,922.00			
221437.00	To Office Repair and Maint.	325,837.00			
39560.00	To Vivekadheen Expenses	35,000.00			
7686.00	To Electricity Expenses	221,276.00			
13628.00	To Audit Fees	187,100.00			
260803.00	To Infrastructure/Development Expenses	6,343,238.75			
2769843.00	To Chairman/Comm. Office	283,936.00			
180085.00	To Depreciation	466,534.51			
433388.05	To Haritima	1,026,266.00			
29728.00	To BHEL Punarwas Exps.	739,649.98			
997957.00	To Shyamlok Maint.	224,705.00			
6832643.00	To Harilok	88,329.00			
240155.00	To Harilok Manit.	47,779.00			
267241.00	To Master Plan Survey	365,456.00			
71000.00	To Medicine Expenses	1,160.00			
5648413.48	To News Paper & Periodicals	1,750.00			
	To Excess of Income Over Expenditure	10,604,883.64			
25,690,552.53		29,330,550.88	25,690,552.53		29,330,550.88

Dated:- 28/10/07
 Place:- Hardwar

Auditor's Report:
 As per our separate report of even date attached.

For Girish Mohan Associates

Chartered Accountants


 (Girish Kumar Mohan)

Girish Mohan Associates
 Chartered Accountants
 Mohan Kutir
 Sanyas Road, Kankhal
 Haridwar-249408
 Ph.: 01334 244510, 242510

Hardwar Development Authority

Annexure "A" of Reserve & Surplus:

Capital Reserve	695,000.00	
Depreciation Reserve (7133117.45+466534.51)	<u>7,599,651.96</u>	8,294,651.96

General Reserve:

Opening Balance	96,004,403.97	
Less :- Fringe Benefit Tax	<u>90,897.00</u>	
Add:- Excess of Income over Expenditure	<u>95,913,506.97</u>	
	<u>10,604,883.64</u>	106,518,390.61
		<u>114,813,042.57</u>

Annexure "B" of Grant in Aid 31/03/2005

Grant for Beautification	102,096.67	
Ardh Kumbh Mela 2004 (5964617-2582580)	<u>3,382,037.00</u>	
		3,484,133.67

Annexure "C" of Infrastructure Dev. Fund

Op. Balance	63,279,699.20	
Add:- During the Year	<u>47,482,663.00</u>	
		110,762,362.20

Dated:- 28/10/07
Place:- Hardwar

As per our separate report of even date attached.

Auditor's Report:
For Girish Mohan Associates
Chartered Accountants

(Girish Kumar Mohan)

Girish Mohan Associates
 Chartered Accountants
 Mohan Kutir
 Sanyas Road, Kankhal
 Haridwar-249408
 Ph.: 01334 244510, 242510

Hardwar Development Authority

Annexure "E" of Current Liabilities & Advances 31/03/2007

T.H.D.C. Ltd. Against Housing Construction	232,772.56
Earnest Money	35,000.00
Vidhyak Nidhi (2287055.25+1375000)	912,055.25
InderLok Fees Registration Amount	1,223,566,610.00
Inderlok Scheme Interest A/c	45,374,613.00
	1,270,121,050.81

Annexure "D" Amount received Against Residential Scheme 31/03/2007

	<u>Opening Balance</u>	<u>Addition</u>	<u>Closing Balance</u>
Shyamlok	19,381,533.00	8,467,967.00	27,849,500.00
Gayatrilok	38,346,293.00	-	38,346,293.00
Ashrya Yojna	2,047,769.00	418,580.00	2,466,349.00
Bahu Rao Devras	1,049,149.00	-	1,049,149.00
Sports Complex	399,950.00	-	399,950.00
Transport Nagar	4,240,650.00	10,682,341.00	14,922,991.00
Hari Lok	-	8,170,552.00	8,170,552.00
			93,204,784.00

Annexure "H" of Work In Progress(Residential Scheme) 31/03/2007

Land:	<u>Opening Balance</u>	<u>Addition</u>	<u>Closing Balance</u>
Transport Nagar	172,620,389.00	-	172,620,389.00
Haridwar			
Gayatri Lok	17,573,552.00	-	17,573,552.00
			190,193,941.00

Construction


	<u>Opening Balance</u>	<u>Addition</u>	<u>Closing Balance</u>
Gayatrilok	1,698,735.10	-	1,698,735.10
Ashrya Yojna	4,058,938.62	-	4,058,938.62
Bahu Rao Devras	2,268,522.61	-	2,268,522.61
Ardh Kumbh Mela-92	986,554.07	-	986,554.07
Bhavi Yojna	487,500.00	-	487,500.00
Sports Complex	441,258.00	-	441,258.00
BHEL Greh Nirman Yojna	111,544.00	-	111,544.00
Inderlok Yojna	242,006.00	4,957,351.28	5,199,357.28
Transport Nagar	282,886.00	604,962.28	887,848.28
			16,140,257.96
			206,334,198.96

Dated:- 28/10/07

Place:- Hardwar

Auditor's Report:
 As per our separate report of even date attached.

For Girish Mohan Associates
 Chartered Accountants


 (Girish Kumar Mohan).

Girish Mohan Associates
Chartered Accountants
Mukti
Mohan Kutir
Sanyas Road, Kankhal
Haridwar-249408
Ph.: 01334 244510, 242510

Hardwar Development Authority

Annexure "I" of Cash and Bank Balances 31/03/2007

Cash in hand

Cash at Bank

Central Bank of India-8000	40,017,600.84
Oriental Bank of Commerce-386	16,678,206.64
Oriental Bank of Commerce-08	791,779.85
State Bank of India-11137	706,844.82
Punjab National Bank-5738	1,713,254.26
Vidhayak Nidhi Punjab National Bank-5740	354,430.50
P.L.A.Treasury	56.72
Syndicate Bank	0.67
UCO Bank	36,910.00
Bank of Maharashtra # 1001	228,249.00
Allahabad Bank	8,974,324.00
Corporation Bank	5,031,510.00
Union Bank	4,044,882.00
Vijya Bank # 491	577,573.00
Vijya Bank # 451	373.00
Vijya Bank # 489	6,136.00
	<u>79,162,131.30</u>

Annexure "G" of Investment

FDR 1,259,037,374.00 1,259,037,374.00

Dated:- 28/10/07

Place:- Hardwar

Auditor's Report:

As per our separate report of even date attached.

For Girish Mohan Associates
Chartered Accountants

Girish Mohan Associates
 Chartered Accountants
 Mohan Kutir
 SL.Iyas Road, Kankhal
 Haridwar-249408
 Ph.: 01334 244510, 242510

Haridwar - 249408

61

Schedule "F" of Fixed Assets as on 31st March, 2007

Particulars	Dep. Rate	Original Cost	Addition before Sep.	Addition after sep	Sold	Total	Dep.Upto 31/03/2006	Dep. Bef.Sep.	Dep. after sep	Total Dep. During the yr.	Dep.Upto 31/03/2007	W.D.V.as 31/03/2006	W.D.V. as 31/03/2007
Building	5%	788489.71	0.00	0.00	0.00	788489.71	470188.95	15915.04	0.00	15915.04	486103.99	318300.76	302385.72
Car	15%	1527695.50	0.00	0.00	0.00	1527695.50	1048862.71	71824.92	0.00	71824.92	1120687.63	478832.80	40707.88
Gypsy	15%	104778.38	0.00	0.00	0.00	104778.38	103494.79	192.54	0.00	192.54	103687.33	1283.59	1031.05
Type Writer	15%	108935.74	0.00	0.00	0.00	108935.74	105172.76	564.45	0.00	561.45	105737.21	3762.98	3198.53
Furniture & Fixture	10%	2186688.08	48938.00	195586.00	0.00	2431212.08	1068162.60	116746.35	9779.30	126523.65	1194688.25	1118525.48	1236523.83
Electricity Instrument	15%	212521.78	0.00	0.00	0.00	212521.78	142016.84	10575.74	0.00	10575.74	152592.58	70504.95	59929.21
Engg. Instrument	15%	255304.19	0.00	0.00	0.00	255304.19	216963.15	5751.16	0.00	5751.16	222714.31	38341.08	32533.92
Books	15%	8823.75	0.00	0.00	0.00	8823.75	7842.48	147.19	0.00	147.19	7989.67	981.27	834.08
Cassette Player	15%	2303.00	0.00	0.00	0.00	2303.00	2283.11	2.98	0.00	2.98	2286.09	19.89	15.91
Cycle	15%	3255.00	0.00	0.00	0.00	3255.00	2960.79	44.13	0.00	44.13	3004.92	294.21	250.08
Generator	15%	149300.00	0.00	0.00	0.00	149300.00	137702.08	1739.69	0.00	1739.69	139441.77	11597.93	9858.24
Fax Machine	15%	80430.00	0.00	0.00	0.00	80430.00	61180.45	2887.43	0.00	2887.43	64067.88	19249.55	16321.14
Computer	60%	2031520.75	0.00	101837.00	0.00	2133357.75	2001222.22	18179.12	30551.10	48730.22	2049952.44	30298.53	83455.31
Air Conditioner	15%	161832.40	0.00	0.00	0.00	161832.40	135037.57	4019.23	0.00	4019.23	139056.80	26794.84	22775.61
Gypsy UP10B-9333	15%	262049.73	0.00	0.00	0.00	262049.73	220008.53	6306.18	0.00	6306.18	226314.71	42041.20	35735.02
Aquaguard	15%	5940.00	0.00	0.00	0.00	5940.00	3659.24	342.11	0.00	342.11	4001.35	2280.76	1523.55
Rehra	15%	4207.00	0.00	0.00	0.00	4207.00	2686.80	228.03	0.00	228.03	2914.83	1520.20	1292.13
JCB	15%	1543516.00	0.00	0.00	0.00	1543516.00	1268372.00	41271.60	0.00	41271.60	1309643.60	275144.00	233572.40
Telephone Equip.	15%	26730.00	0.00	0.00	0.00	26730.00	12403.69	2148.95	0.00	2148.95	14552.64	14326.31	12177.36
Photocopy Machine	15%	145376.00	0.00	0.00	0.00	145376.00	64283.45	12163.89	0.00	12163.89	76447.33	81092.55	68926.61
Mahindra & Mahindra	15%	390755.00	0.00	0.00	0.00	390755.00	58613.25	49821.26	0.00	49821.26	108434.51	332141.75	282320.45
Land	0%	0.00	36000000	0.00	0.00	36000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36000000.00
Vehicle Purchase	15%	0.00	435548.00	0.00	0.00	435548.00	0.00	65332.20	0.00	65332.20	65332.20	65332.20	370215.8
		10000452.01	36484486.00	297423.00	0.00	46782361.01	7133117.46	426204.18	40330.40	466534.51	7599652.04	2857334.63	39182709.0

Dated:- 28/10/07
 Place:- Hardwar

Auditor's Report
 As per our separate report of even date attached.

For Girish Mohan Associates
 Chartered Accountants

Girish Mohan Associates
Chartered Accountants
Mohan Kutir
Sanyas Road, Kankhal
Haridwar-249408
Ph.: 01334 244510, 242510

Hardwar Development Authority

Annexure of Loan and Advances as on 31/03/2007

(A) Housing Loan

Shri Mam Chand	21,340.00
Shri Govind Singh	9,430.00
Shri Durga Bhadur Thapa	27,670.00
Smt. Mridula Gangwar	60,100.00
Shri keshav Chander Upadhyay	70,320.00
Shri Narayan Kishore Nautiyal	6,000.00
Sh: P.K.Sharma	3,750.00
Sh. Bhuan Chand Pant	<u>77,500.00</u>
	276,110.00

(B) Other Advances

Shri Mamchand	49,950.00
Shri Naveen Saxena	50,000.00
Shri Chintamani Bhattgai	5,000.00
Shri Balram	27,500.00
Anil Saxena	<u>26,000.00</u>
	158,450.00

Total (A+B)

434,560.00


Annexure of Loan & Advances 31/03/2007

Advances other against works	10,327.98
M/s Primier Irrig.Equip.Ltd.-Delhi	50,000.00
S.S.P. Kumbh Mela	300,000.00
Uttranchal Shashan Avas Vibhag	<u>158,770.00</u>
	<u>519,097.98</u>

Dated:- 28/10/07
Place:- Hardwar

Auditor's Report:
As per our separate report of even date attached.

For Girish Mohan Associates
Chartered Accountants


(Girish Kumar Mohan)

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

सेवा में

प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,
राजस्व विभाग,
देहरादून।

संख्या: (५९) /भूमि व्यवस्था-भूमि कथ

दिनांक जनवरी ५ 2008

विषय: गरीबी रेखा से नीचे व्यक्तियों एवं मजदूरों के आवासों हेतु भूमि की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

दिनांक 27-10-2007 को आयुक्त महोदय की सिडकुल (रोशनावाद), हरिद्वार में उघोगपतियों/प्रतिनिधियों से हुई बैठक में उघोगपतियों/प्रतिनिधियों द्वारा उनके कर्मचारियों/मजदूरों के आवास की समस्या के सम्बन्ध में अवगत कराया गया था कि सिडकुल क्षेत्र में पर्याप्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मजदूरों/कर्मचारियों के आवास की समस्या उत्पन्न हुई है। आयुक्त महोदय द्वारा हरिद्वार विकास प्राधिकरण को इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे।

उक्त समस्या के निदान हेतु उप जिलाधिकारी हरिद्वार व सचिव हरिद्वार विकास प्राधिकरण को भूमि की उपलब्धता के सम्बन्ध में आर्थ्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। उक्त अधिकारियों द्वारा निम्न विवरण के अनुसार भूमि चयनित की है :-

क्र०सं०	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	श्रेणी
1-	सलेमपुर महदूद- ।	301	30.00	6-1
2-	सजनपुर पीली	8/8 9	19.728 9.434	5-3ख 6-1

उक्त भूमि ग्राम समाज की है, निःशुल्क हरिद्वार विकास प्राधिकरण को आवंटित करने हेतु प्रस्तावित की जाती है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों की आवासीय समस्या कुछ हद तक हल हो सके।

संलग्नक:

उक्त भूमि का नजरी नक्शा व खतौनी

भवीय,
०५/०१/०८
(आनन्द बर्द्धन)
जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

प्रतिलिपि:-

- 1- प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- आयुक्त गढ़वाल मंडल गढ़वाल।
- 4- उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार।

०५/०१/०८
जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

o.c. pant

संलग्नक:-

३

इन्द्रलोक आवासीय योजना में विकास कार्यों के सापेक्ष व्यय

का विवरण:-

क्रम संख्या	विकास कार्यों का विवरण	कार्यों के सापेक्ष आरक्षित / अनुबन्धीत धनराशि (₹० लाख में)
1	2	3
1	सड़क एवं सेन्ट्रल वर्ज का निर्माण कार्य।	140.00
2	सड़को पर हॉटमिक्स का कार्य।	150.00
3	नाली नाला एवं कल्वर्ट	202.00
4	विद्युत व्यवस्था एवं स्ट्रीट लाईटिंग का कार्य।	250.00
5	पेयजल व्यवस्था का कार्य।	181.26
6	सीवर व्यवस्था का कार्य।	327.42
7	सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	40.00
8	उद्यानीकरण का कार्य।	28.00
9	पार्क निर्माण एवं विकास कार्य।	77.00
10	बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	15.00
11	भूमि मूल्य	222.00
12	समतलीकरण एवं चिन्हीकरण एवं बाउन्ड्री पीलर का कार्य।	36.10
13	दुर्बल आय वर्ग के भवन का निर्माण कार्य।	116.00
	योग:-	1784.78

इन्द्रलोक आवासीय योजना से प्राप्त होने वाली आय का

विवरणः—

संलग्नक- ५

ट्रान्सपोर्ट नगर योजना से प्राप्त होने वाली आय का विवरण:-

क्रम संख्या	भूखण्ड / भवन श्रेणी वर्ग मी०	भूखण्ड / भवनों की संख्या	दर प्रति वर्ग मी० / प्रति भवन	मूल्य
1	2	3	4	5
1	Work shop			
	3250	2	6400	41600000
2	Shops			
	22.24	52	6400	7401472
3	T. office			
	22.24	52	6400	7401472
4	धर्मकाटा			
	2072	1	6400	13260800
	1058	1	6400	6771200
	910	1	6400	5824000
5	चेद्रोल पम्प			
	1932	1	6400	12364800
6	दाढ़ा			
	1034	1	6400	6617600
	1034	1	6400	6617600
7	शोरुम			
	114.37	8	6400	5855744
8	हो० / रेस्ट०			
	2067	1	6400	13228800
9	गेस्टहाउस			
	3192	1	6400	20428800
10	नार्सिंग होम			
	1590	1	6400	10176000
11	धर्मशाला			
	2418	1	6400	15475200
12	आरटीओ०			
	1938	1	6400	12403200
13	टेलीफोन एक्स०			
	2415	1	6400	15456000
14	पुलिस स्टेश०			
	944	1	6400	6041600
15	फायर स्टेश०			
	2030	1	6400	12992000
16	ट्रक चूषकार्य०			
	944	1	6400	6041600
17	कार्मिशिकाम्प्य०			
	10692	1	6400	68428800
18	गोदाम			
	875	14	6400	78400000
	460	20	6400	58880000
	Total			431666688

संलग्नक- ५

द्रान्सपोर्ट नगर योजना में विकास कार्यों के सापेक्ष व्यय का विवरण:-

क्रम संख्या	विकास कार्यों का विवरण	कार्यों के सापेक्ष आरक्षित / अनुबन्धीत धनराशि (रु० लाख में)
1	2	3
1	सड़क एवं सेन्ट्रल वर्ज का निर्माण	310.00
2	सड़को पर हॉटमिक्स का कार्य।	250.00
3	नाली नाला एवं कल्वर्ट का निर्माण	350.00
4	विद्युत व्यवस्था एवं स्ट्रीट लाईट	324.00
5	पेयजल व्यवस्था	202.73
6	सीवर व्यवस्था	253.48 *
7	सामुदायिक भवन एवं शौचालय का निर्माण कार्य।	150.00
8	उद्यानीकरण का कार्य।	11.00
9	पार्क निर्माण का निर्माण कार्य।	6.50
10	पार्किंग स्थल का निर्माण कार्य।	150.00
11	बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	50.00
12	भूमि मूल्य	1853.50
	योग:-	3911.21

संलग्न - 5

(Application for Conversion of Land Use)

To,

The Vice Chairman
Hardwar Development Authority
Hardwar

Subject :- Prayer for Conversion of Land Use.

Dear Sir

I / we shall be very much glad if you Kindly arrange to convert the land use as per following schedule of land from.....to.....

Schedule of land

- (a) Name of Village.....
- (b) Khasra No (s)
- (c) Plot No
- (d) Recorded classification.....
- (e) Area of land.....
- (f) Police Station.....
- (g) District.....

The following document in five copies are enclosed:-

1. Copy of mutation Certificate.
2. Copy of current Record of-Right
3. Site plan in duplicate showing (1) the boundries and parcel number of the project site areas subject to conservation of easement and (2) regional land scape . area of importance in relation of the project.
4. Copy of the concept paper.
5. Location sited on the master plan.
6. Six colour "4x6" Photograph of the project site.
7. Proof of identity of the applicant (in case the applicant other than person include articles of incorporations)

(Please specify the area of land in acres also specify such portion which come under the ambit of conversation of easement right)

Date.....

You's Faithfully,

Signature.....
Name.....
Address.....
.....

प्रेषक,

शत्रुघ्न सिंह,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1-	उपायमंडा, विकास प्राधिकरण, हरिद्वार / देहरादून, उत्तराखण्ड।	2	प्रबन्ध निदेशक, राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण उत्तराखण्ड, देहरादून
3-	सचिव विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, दूनघाटी / नैनीताल / गंगोत्री, उत्तराखण्ड।	4-	निदेशक, शहरी विकास निदेशालय देहरादून, उत्तराखण्ड।
5-	नियत प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तराखण्ड।	6-	मुख्य नगर अधिकारी / समस्त अधिकारी अधिकारी, नगर निगम / नगरपालिका परिषद / नगर पंचायत, उत्तराखण्ड।

आवास विभाग:

देहरादून दिनांक 06 नवम्बर 2007

विषय: भवन निर्माण एवं विकास उपविधियों/ विनियमों में भवनों की ऊँचाई, भू-आच्छादन, एफ०ए०आर०, भू-गैह पार्किंग संबंधी इत्यादि मानकों में संशोधन।

महोदय,

उत्तराखण्ड राज्य में भूमि की सीमित उपलब्धता के दृष्टिगत इसका इंटर्टेन उपयोग दर्शित है। इस दृष्टिकोण से प्रदेश के विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों, राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, अभिकरणों व स्थानीय निकायों में प्रचलित भवन निर्माण एवं विकास उपविधियों/ विनियमों के अन्तर्गत भवनों की ऊँचाई, भू-आच्छादन एवं एफ०ए०आर० तथा भू-गैह पार्किंग में संशोधन हेतु सुझाव / अनुसेच शासन के तमाक प्रस्तुत दिये जाते रहे हैं।

उपर्युक्त पर सत्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश न भवन निर्माण एवं विकास उपविधियों/ विनियमों में भवनों की ऊँचाई, भू-आच्छादन, एफ०ए०आर०, भू-गैह पार्किंग इत्यादि से संबंधित प्रतिक्रिया में निम्नलिखित संशोधन किये जाये :-

1.0 पर्वतीय व मैदानी क्षेत्र की परिमाण:-

इस शासनादेश के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रविधानों के लिए प्रदेश को दो क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है- (क) पर्वतीय क्षेत्र जिसमें जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग का स्मृप्त क्षेत्र जब कि देहरादून जनपद की चक्राता व मसूरी तहसील, नैनीताल जनपद की नैनीताल तहसील तथा समनगर विनियमित क्षेत्र को अल्मोड़ा अवशेष रामनगर तहसील, चमोली जनपद की टनकपुर नगरपालिका सीपा को छोड़वार अदराए क्षेत्र एवं पौड़ी जनपद को कोट्ठार नगरपालिका सीमा के छोड़कर अवशेष क्षेत्र शामिल होगे तथा (ख) मैदानी क्षेत्र जिसने प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर अवशेष क्षेत्र शामिल होगे।

2.0 भवन की ऊँचाई :

भवनों की अधिकतम ऊँचाई निम्नलिखित प्रतिक्रियों के अन्तर्गत निर्धारित ऊँचाईयों में से न्यूनतम ही अनुमत्य होगी-
(क) मार्ग की चौड़ाई तथा निर्धारित आदर्शक अग्र रोट बैक के लोग के 1.5 गुण- एक से अधिक गामी व् भवन के अवरित्त होने की दशा में इस हेतु सदसे चौड़े मार्ग की चौड़ाई तो जारीगी।

३४८

- (ए) पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम् 12 मीटर तथा मैदानी क्षेत्रों में 21 मीटर;
- (ग) पर्वतीय क्षेत्रों में भूतल व अधिकतम् ऊपरी तीन तल तथा मैदानी क्षेत्र में भू-तल तथा ऊपरी अधिकतम् 7 तल; तथा
- (घ) संबंधित भू-उपयोग हेतु निर्धारित एफ०ए०आर० की सीमा तक

3.0 अधिकतम् भू-आच्छादन एवं एफ०ए०आर० :

भू-आच्छादन एवं एफ०ए०आर० का निर्धारण निम्नवत् किया जाता हैः—

क्र० सं	उपर्योग समूह (भूखण्ड क्षेत्रफल वर्गमीटर में)	मैदानी क्षेत्र				पर्वतीय क्षेत्र				
		अधिकतम् भू-आच्छादन %	जनसंख्या / निर्माण घनत्व पर आधारित अनुमन्य एफ०ए०आर०	सघन	उच्च	मध्यम	चून	अधिकतम् भू-आच्छादन %	जनसंख्या / निर्माण घनत्व पर आधारित अनुमन्य एफ०ए०आर०	उच्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-	आवासीय (प्लाटेड)									
	- 100 तक	70	1.00	1.20	1.30	1.30	70	1.20	1.30	1.30
	- 200 तक	65	1.10	1.20	1.30	1.30	65	1.30	1.50	1.50
	- 300 तक	60	1.20	1.30	1.40	1.40	60	1.40	1.50	1.50
	- 400 तक	55	1.40	1.50	1.60	1.60	55	1.50	1.60	1.60
	- 500 तक व उससे अधिक	50	1.50	1.60	1.70	1.70	50	1.60	1.70	1.70
	- ग्रुप हाउसिंग	33.33	X	1.70	2.10	2.10	33.33	X	1.70	1.70
2-	व्यवसायिक									
	(क) आवासीय क्षेत्र में सुविधाजनक दुकानें	50	0.60	0.80	1.00	1.00	60	1.10	1.10	1.10
	(ख) बाजार स्ट्रीट	50	0.75	1.25	1.40	1.00	55	1.40	1.65	1.40
	(ग) महायोजना में चिह्नित वाणिज्यिक क्षेत्र									
	- 500 तक	50	1.10	1.65	2.00	1.80	60	1.80	2.00	2.00
	- 501 - 999 तक	45	1.00	1.75	2.00	2.20	55	1.80	2.00	2.00
	- 1000 व अधिक	40	1.00	1.85	2.40	2.20	50	2.00	2.00	2.00
	(घ) भण्डारण / शीत गृह	55	0.60	1.10	1.80	2.00	60	0.75	1.50	1.50
	(च) होटल	35	X	1.85	2.10	2.30	40	1.50	1.40	1.40
	(छ) मोटल व रिझोर्ट्स	25	X	X	0.75	1.00	30	X	0.75	1.00
	(ज) मल्टीलोक्स	35	X	X	2.10	2.10	35	X	1.50	1.50
3-	हॉस्टल / वोडिंग / गेस्ट हाउस / लॉजिंग हाउस / धर्मशाला व मुसाफिरखाना	40	X	1.10	1.50	1.50	40	1.10	1.50	1.50
4-	कार्यालय	35	X	0.90	2.00	2.00	40	1.00	1.60	1.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5-	शैक्षिक									
	(क) प्राइमरी व नर्सरी स्कूल	35	0.35	0.70	1.00	1.00	40	0.70	1.00	1.00
	(ख) हाईस्कूल / इंटरमीडिएट	40	1.20	1.20	1.60	1.60	45	1.20	1.60	1.60
	(ग) स्नातक / स्नातकोत्तर	45	1.20	1.30	1.80	1.80	55	1.50	2.20	2.50
	(घ) आईटीआई / पॉलीटेक्निक	50	X	X	1.50	2.00	55	X	1.65	2.00
	(च) बी0एड0 एवं लॉ कॉलेज	50	X	1.00	1.50	2.00	55	1.50	1.50	2.00
	(छ) डेन्टल कॉलेज	45	X	X	1.50	2.00	50	X	1.50	2.00
	(ज) पैरामेडिकल कॉलेज	40	X	X	1.50	2.00	45	X	1.50	2.00
	(झ) आयुर्वेदिक कॉलेज	40	X	X	1.50	2.00	40	X	1.50	2.00
	(ट) मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज	45	X	X	1.80	2.10	45	X	1.80	2.10
	(ठ) एम0बी0ए0 / एम0सी0ए0 / फार्मसी / होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग टैक्नॉलॉजी / एप्लाईड आर्ट्स एण्ड काप्ट्स / फैशन डिजाइनिंग / वोकेशनल एण्ड अकूपेशनल कोर्स	45	X	X	1.80	2.10	50	X	1.80	2.10
	(ड) विश्वविद्यालय परिसर	33.50	X	X	X	1.50	35	X	X	1.50
6-	चिकित्सा									
	(क) नर्सिंग होम / स्थानीय डिस्पेन्सरी	50	0.75	1.00	1.50	1.50	55	1.00	1.50	1.50
	(ख) प्राइमरी हैल्थ सेंटर	45	X	0.90	1.60	1.60	50	1.20	1.60	1.60
	(ग) अस्पताल	40	X	1.20	1.80	1.80	40	0.90	1.80	1.80
7-	संस्थागत एवं सामुदायिक सुविधायें -									
	(क) मण्डपम्/ बारातघर (वैडिंग पाइंट)	33.30	X	X	0.70	1.00	35	X	0.70	0.80
	(ख) धार्मिक / आश्रम परिसर (केवल शिखर, मीनारें, ढोम इससे मुक्त)	35	0.70	1.00	1.60	1.60	40	0.80	1.60	1.60
	(ग) अन्य सामुदायिक भवन	40	X	0.80	1.80	1.80	40	0.80	1.40	1.40
8-	औद्योगिक									
	- 250 तक	60	X	0.75	1.20	1.50	65	1.00	1.30	1.30
	- 251 - 350 तक	55	X	1.00	1.30	1.50	60	1.10	1.50	1.50
	- 351 - 450 तक	55	X	1.00	1.50	1.60	55	1.20	1.60	1.60
	- 451 - 900 तक	50	X	X	1.60	1.60	50	1.20	1.60	1.60
	- 901 - 1800 तक	45	X	X	1.60	1.60	45	X	1.60	1.60
	- 1800 से अधिक	40	X	X	1.60	1.60	40	X	1.60	1.60

विविध	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(क) सूचना प्रौद्योगिकी परिसर एवं परिसरों में इकाई	33.50		X	X	2.30	2.30	35	X	1.80	1.80
(ख) अन्य अनुमन्य क्षेत्रों में व्यक्तिगत सूचना प्रौद्योगिकी इकाई	40	0.80	1.00	1.60	2.00		45	0.90	1.50	1.50
(ग) फिलिंग / फिलिंग- कम-सर्विस स्टेशन	15		X	0.15	0.15	0.20	20	X	0.20	0.40
(घ) टैक्सी, बस एवं ट्रक अडडा	35	0.35	0.70	1.25	1.40		40	0.80	1.20	1.20

X अर्थात् निर्माण अनुमन्य नहीं।

- जनसंख्या / निर्माण घनत्व के अनुसार क्षेत्र विशेष का वर्गीकरण संबंधित महायोजना / महायोजना प्रारूप में इंगित वर्गीकरण के अनुरूप होगा; महायोजना / प्रारूप महायोजना विद्यमान न होने की दशा में मुख्यालय, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून द्वारा अलग से एतदविषयक वर्गीकरण किया जाएगा।

4.0 ऊँचाई संबंधी अन्य प्राविधिकान :

4.1 मसूरी के मालं रोड पर गांधी चौक से कलेयरेन्स हाउस तक दूनघाटी या खड्ड की ओर स्थित किसी भी भवन का शिखर मार्ग तल से 03 मीटर नीचे तक ही अनुमन्य होगा। नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र में विद्यमान सभी झीलों के तट से 30.00 मीटर की परिधि के अन्तर्गत कोई भी नव निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

4.2 मसूरी एवं नैनीताल विकास क्षेत्र में भवनों की अधिकतम ऊँचाई 11.0 मीटर या भूतल व ऊपरी तीन तल अथवा इनमें से जो भी कम हो, अनुमन्य होगा; यह अनुमन्यता मसूरी क्षेत्र में वन व पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार एवं नैनीताल क्षेत्र में माननीय उच्च च्यायालय द्वारा निर्देशित व निहित प्रक्रिया की परिधि में ही मान्य होगा। नदीनाथ केदारनाथ एवं गंगोत्री में सीमित उपलब्ध भूमि के सापेक्ष प्रति वर्ष यात्रियों के दबाव की दृष्टि से भवनों की अधिकतम ऊँचाई कमशः बदरीनाथ व केदारनाथ में 8.5 मीटर या भूतल एवं ऊपरी दो तल तथा गंगोत्री में 6.5 मीटर या भूतल एवं प्रथम तल तक, इनमें से जिसकी भी ऊँचाई कम हो, अनुमन्य होगी।

4.3 भवनों की ऊँचाई प्लिंथ लेबल से आकलित की जायेगी। इस हेतु भूतल से अधिकतम प्लिंथ लेबल 0.45 मीटर ही अनुमन्य होगा; अर्थात् प्लिंथ लेबल 0.45 मीटर से कम होने की दशा में ऊँचाई का आकलन वास्तविक प्लिंथ लेबल से तथा उससे अधिक की स्थिति में ऊँचाई का आकलन भू-तल से 0.45 मीटर की ऊँचाई से किया जायेगा।

5.0 एफ०ए०आर० व ऊँचाई में छूट :

उक्तानुसार अनुमन्य एफ०ए०आर० व ऊँचाई में निम्नलिखित के अनुसार छूट अनुमन्य होगी :-

5.1 ढालदार छत की स्थिति में, ढाल की रिज की ऊँचाई 2.00 मीटर से अधिक होने पर 2 मीटर तक तथा इससे कम होने पर ढाल के रिज की वास्तविक ऊँचाई तक ;

5.2 वास्तुकलात्मक फीचर, पैरापिट वॉल लफ- टॉप वाटर टैंक, डिस्क ऐटर्ना, चिमनी अधिकतम 1.5 मीटर ऊँचाई तक, एयर कन्डिशनिंग एक्यूपोन्ट, लिफ्ट-गशीन रूम भवन में लिफ्ट होने पर अधिकतम 4.20 मीटर ऊँचाई तक, मारी 2.40 मीटर तक को मुक्त रखा गया है। औद्योगिक इकाईयों की चिमनियों की ऊँचाई को एतदसंबंधी गणना से मुक्त रखा गया है।

5.3 उक्त समस्त निर्माण के अन्तर्गत आच्छादन छत के 20 प्रतिशत क्षेत्रफल के अन्दर ही अनुमन्य होगा। इससे अधिक का आच्छादन पूर्णतः अशमनीय होगा अर्थात् ऐसा निर्माण केवल तोड़ा ही जायेगा तथा ऊँचाई में वर्णित सभी छूट सम्बन्धी प्राविधिक एकमुश्त स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।

6.0 भूकम्प, अग्नि इत्यादि से सुरक्षा संबंधी प्राविधान :

6.1 भूकम्प से सुरक्षा हेतु भूकम्परोधी प्राविधान सभी प्रकार के भवन निर्माण में किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु भवन निर्माण से पूर्व सम्बन्धित आफिटेक्ट, इंजीनियर एवं आवेदक द्वारा सम्मिलित लप से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि स्ट्रक्चरल डिजाइन नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के भाग- IV के प्राविधानों के अनुरूप है।

6.2 ऊंचे भवनों के निर्माण हेतु स्थल की उपयुक्तता व सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु पर्वतीय क्षेत्र में 7.5 मीटर तथा मैदानी क्षेत्रों में 9 मीटर से ऊंचे सभी भवन अधिक ऊचाई वाले भवन की परिभाषा में आयेंगे। अधिक ऊचाई वाले भवनों के निर्माण से पूर्व, इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा कि निर्माण रथल भूगर्भीय दृष्टिकोण से स्तूपित निर्माण के लिए उपयुक्त है।

6.3 अधिक ऊचाई के भवनों के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के भाग- IV (स्ट्रक्चरल डिजाइन) के अनुसार स्ट्रक्चरल डिजाइन करना आवश्यक होगा; इस हेतु प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आईआईटीओ (इंजीनियरिंग के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के 'स्ट्रक्चरल डिजाइन' विशेषज्ञ विभाग से अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर जैसी सूची शासन द्वारा पृथक से जारी की जायेगी) ही अधिकृत होंगे। अधिक ऊचाई के भवनों के मानचित्र पर इनके हरेक व मुहर सहित प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। भवन का निर्माण पूर्ण होने पर इसके अधिगोण से पूर्व भी सूची वर्णित संस्था / स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा प्रदत्त इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि उक्त प्राविधिक के अनुसार ही भवन का निर्माण किया गया है।

6.4 भवन का डिजाइन व निर्माण "फायर एण्ड लाईफ सेफ्टी" प्राविधान जैसा कि नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के भाग- IV में वर्णित है, के अनुसार होगा। इसके अतिरिक्त समर्त गैर आवासीय भवनों, ग्रुप हाउसिंग के मानचित्र पर रचीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि फायर एण्ड लाईफ सेफ्टी सम्बन्धी नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के भाग- IV में वर्णित प्राविधानों के अनुसार आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र रथानीय अग्नि शमन विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा आवेदक के मानचित्र पर उपलब्ध है। इसी प्रकार सम्बन्धित भवन के निर्माण के पूर्ण होने पर उसके अधिगोण से पूर्व अग्नि शमन विभाग से इस आशय का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि इन प्राविधानों के अनुप्रवर्त्तन की जा चुकी हैं।

6.5 9.0 मीटर से ऊंचे भवनों में भवन के चारों ओर न्यूनतम 4.50 मीटर व तत्पश्चात प्रत्येक 3.00 मीटर या अधिक ऊचाई वृद्धि पर 1.00 मीटर अतिरिक्त तक की दूरी के क्षेत्र को निर्माण मुक्त रखते हुये खुले क्षेत्र के रूप में रथल आवश्यक होगा। यदि भूखण्ड के क्षेत्रफल अनुसार सेट वैक अधिक नियारित है तो उस स्थिति में खुला क्षेत्र के रूप में जो अधिक हो, उसका प्राविधान आवश्यक होगा।

6.6 अधिक ऊचाई के भवनों हेतु निम्न प्राविधान भी किये जाने आवश्यक होंगे-

1. अग्निशमन उपकरणों की सुगम पहुंच व वाहनों के घुमाववृत्त का स्पाई अंक तथा भवन के चारों ओर वाहनों के आवागमन हेतु स्पष्ट मार्ग व्यवस्था (Access to fire appliances/ vehicles with details of vehicular turning circle and clear motorable accessway around the building)
2. बालकोनी / कारीडोर में पहुंचने हेतु मुख्य व वैकल्पिक सीढ़ी वॉल चालान सहित, सवांतन्युक्त लौबी द्वारा बालकोनी व कारीडोर में सम्पर्क मार्ग हें समुचित व्यवस्था (Size (width) of main and alternate staircase वॉल, balcony approach, corridor, ventilated lobby approach)
3. लिफ्ट सहावृत की स्थिति व विवरण (Location and details of lift enclosures)
4. फायर लिफ्ट की स्थिति एवं माप (Location and size of fire lift)
5. धुवां रहित लौबी / दरताजा जहाँ भी दिये गये हों (Smoke stop lobby/ where provided)

6. अवशिष्ट निस्तारण हेतु अवशिष्ट शूट व चैम्बर एवं सर्विस डक्ट आदि (Refuse chutes, refuse chamber, service duct, etc)
7. वाहन पार्किंग रथल (Vehicular parking spaces)
8. अवशिष्ट निस्तारण का रथल यदि कोई हो (Refuse area, if any)
9. भवन में सुविधाओं का विवरण यथा— वातानुकूल प्रणाली में आद अभिन शमको की स्थिति का अंकन, गांत्रिक संचातन प्रणाली, विद्युत आपूर्ति सुविधा, गॉलर, गैस पाईप आदि (Details of Building Services- Air-conditioning system with position of fire dampers, mechanical ventilation system, electrical services, boilers, gas pipes etc)
10. सभी सामुदायिक संग्रह सम्बन्धित, संरक्षागत व अस्पताल एवं विशेष संयोग संवेदनशील भवनों में निकासियों का विवरण, रैम्प आदि सहित (Details of exits including provision of ramps, etc, for all public/ institutional buildings, hospitals and special risks)
11. जनरेटर, ट्रान्सफार्मर व स्विच गियर कक्ष की स्थिति (Location of generator, transformer and switchgear room)
12. धुआं निकास हेतु एग्जास्ट व्यवस्था यदि कोई हो (Smoke exhauster system, if any)
13. अग्नि सूचक ध्वनि यंत्र प्रणाली का विवरण (Details of fire alarm system network)
14. अग्नि सूचक ध्वनि यंत्रों के केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष की स्थिति एवं सम्बद्धता, अग्नि रोधक उपकरणों की व्यवस्था तथा जन सूचना प्रणाली आदि (Location of centralized control, connecting all fire alarm systems, built-in fire protection arrangements and public address system, etc)
15. जल भण्डारण टेंक की माप व स्थिति, अग्नि सुरक्षा हेतु पम्प कक्ष की चालित पम्प सहित जल भण्डारण टेंक में जल भण्डारण की सुचारू व्यवस्था (Location and dimensions of static water storage tank and pump room alongwith fire service inlets for mobile pump and water storage tank)
16. नियत अग्नि सुरक्षा उपकरण जैसे स्प्रिंगलर्स हेट सर्फेजेस, हाउस रील्स, ड्रेन्चर, कार्बनडाई-आक्साईड आदि की स्थिति एवं उसका विवरण (Location and details of fixed fire protection installations such as sprinklers, wet risers, house-reels, drenchers, co₂ installation, etc; and)
17. प्राथमिक उपचार सम्बन्धी अग्नि शमन सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था, उसकी स्थिति एवं विवरण (Location and details of first-aid fire fighting equipment/ installations).

7.0 गुप हाउसिंग – मानक :

7.1 गुप हाउसिंग में निम्न प्राविधानों को किया जाना आवश्यक होगा :-

- गुप हाउसिंग के लिये न्यूनतम भूखण्ड पर्वतीय क्षेत्रों में 1000 वर्गमीटर एवं मैदानी क्षेत्रों में 2000 वर्गमीटर होंगा।
- गैट्टानी क्षेत्रों में न्यूनतम 9.00 मीटर चौड़े मार्ग एवं पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम 6.00 मीटर चौड़े मार्ग पर ही गुप हाउसिंग के लिए प्रस्तावित भूखण्ड अवस्थित होगा।

- युप हाउसिंग के लिए प्ररत्तावित भूखण्ड की न्यूनतम चौड़ाई मैदानी क्षेत्र में 24 मीटर एवं पर्वतीय क्षेत्र में 18 मीटर होगी।
- युप हाउसिंग हेतु अधिकतम घनत्व मैदानी क्षेत्र में 125 आवासीय इकाई प्रति हेक्टेयर तथा पर्वतीय क्षेत्र में 90 आवासीय इकाई प्रति हेक्टेयर तक सीमित होगी।
- युप हाउसिंग के भूखण्ड का न्यूनतम 15 प्रतिशत क्षेत्र व्यवरित्थत पार्क व वृक्षारोपण क्षेत्र में आवश्यक होगा।
- भूखण्ड के क्षेत्रफल के अनुसार आन्तरिक मार्गों की चौड़ाई निम्नानुसार होगी।

	<u>मैदानी क्षेत्र</u>	<u>पर्वतीय क्षेत्र</u>
4000 वर्गमीटर तक	- 6.5 मीटर	4.5 मीटर
4001 से 10000 वर्गमीटर तक	- 7.5 मीटर	6.5 मीटर
10000 वर्गमीटर से अधिक	- 9.0 मीटर	7.5 मीटर

7.2 युप हाउसिंग हेतु भवन मानचित्र आवेदन के साथ निम्न विवरण भी प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे -

- 1- अपना पैन नम्बर तथा फर्म/ कम्पनी/ ट्रस्ट का आयकर नम्बर एवं फर्म/ कम्पनी/ ट्रस्ट का रिजोल्यूशन एवं मैमोरांडम ऑफ आर्टीकिल्स का विवरण तथा युप हाउसिंग के रेजीडेंट्स के सुरक्षा अनुरक्षण के सम्बन्ध में RWA (Resident Welfare Association) से सम्बंधित नियम, उपनियम।
- 2- विद्युत, जलापूर्ति व सीवेज से सम्बंधित सभी ड्राइंग वास्तुविद से हस्ताक्षरित जो कि बी0आई0एस0 मानकों के अनुसार हो एवं निर्धारित प्रारूप पर भवन निर्माण के सम्बन्ध में विशिष्टियाँ।
- 3- अग्नि शमन सम्बन्धी प्राविधानों के सम्बन्ध में स्थानीय अग्नि शमन अधिकारी का ड्राइंग पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा।
- 4- इस आशय का एक पंजीकृत शपथ-पत्र कि संबंधित अभिकरण से कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र लेने के उपरान्त ही आवासीय इकाईयों का अधिभोग होगा।
- 5- युप हाउसिंग में प्रस्तावित कुल निर्मित क्षेत्र के 8 प्रतिशत मुख्यतः इनफारमल सर्विस प्रोवाइडर, जिसका न्यूनतम एक चौथाई ई0डब्ल्यू0एस0 हाउसिंग निर्माण हेतु उसी भूखण्ड में जिसमें युप हाउसिंग प्रस्तावित है, प्राविधानित करना आवश्यक होगा।

7

8.0 भू-गेह (बेसमेन्ट) पार्किंग - मानक :

- 8.1 मैदानी क्षेत्रों में अधिक ऊँचाई के भवनों में भू-गेह (बेसमेन्ट) पार्किंग अनिवार्य होगी।
- 8.2 बिल्डिंग लाईन से 3.6 मीटर छोड़ने के उपरान्त (निर्धारित सेट बैक के) अवशेष क्षेत्र का केवल 33 प्रतिशत खुले पार्किंग के उपयोग में लाया जा सकेगा।
- 8.3 प्राकृतिक आपदा एवं भूकम्पीय दृष्टिकोण से स्टिल्ट्स के प्राविधान की अनिवार्यता को समाप्त किया जाता है। तथापि यदि आवेदक केवल पार्किंग हेतु रिटल्ट्स का प्राविधान खंय करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में स्ट्रक्चरल व भू-क्षमता सम्बन्धी आवश्यक प्रमाण-पत्र एवं तत्त्वाधारित आवश्यक प्राविधानों की अनिवार्यता होगी, परन्तु उन्हें एफ0ए0आर0 व ऊँचाई में कोई छूट अनुमत्य नहीं होगी।
- 8.4 पार्किंग हेतु प्रयुक्त भू-गेह को पूर्णतः एफ0ए0आर0 व ऊँचाई गणना से गुक्त रखा जायेगा। बेसमेन्ट का निर्माण यू-आच्छादन की परिधि में किया जा सकेगा यदि यह निर्माण बगल की सम्पत्ति की स्ट्रक्चरल सेफ्टी हेतु 3.00 मीटर की दूरी पर स्थित हो।

मैदानी क्षेत्र में यदि भूखण्ड की चौड़ाई 24.00 मीटर या अधिक हो तो उस स्थिति में ही पार्किंग हेतु भू-गेह मूल (डबल बेसमेन्ट) के पार्किंग का निर्माण अनुमत्य होगा। जबकि पर्वतीय क्षेत्र हेतु यह 18.00 मीटर व अधिक चौड़ाई भूखण्डों पर यह अनुमत्य होगी।

8.6 भू-गेह प्रत्येक पार्किंग में किसी भी स्थान पर फर्श से रिलिंग (वीग सहित) की ऊँचाई न्यूनतम 2.40 मीटर एवं अधिकतम 2.60 मीटर अनुमत्य होगी।

8.7 भू-गेह के सिलिंग के चारों ओर के भू-भाग की सतह से न्यूनतम आवश्यक ऊँचाई 0.90 मीटर एवं अधिकतम 1.20 मीटर होना आवश्यक है।

8.8 भू-गेह पार्किंग में सामने की ओर से ही सामान्यतः प्रवेश एवं निकासी पृथक-पृथक होनी तथा प्रत्येक प्रवेश व निकास रैम्प की न्यूनतम चौड़ाई 3.00-3.00 मीटर आवश्यक होगी। प्रवेश एवं निकास एक होने के स्थिति में रैम्प की चौड़ाई 6.50 मीटर आवश्यक होगी।

9.0 सेट वैक - मानक :

9.1 आवासीय :

भूखण्ड का न्यूनतम आवश्यक क्षेत्रफल मैदानी क्षेत्र में 75 वर्गमीटर एवं पर्वतीय क्षेत्र में 45 वर्गमीटर।

भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	सेट वैक (मीटर में) न्यूनतम आवश्यक			
	अग्र भाग	पृष्ठ भाग	पार्श्व-1	पार्श्व-2
- 100. तक	2.0	-	-	-
- 200 तक	2.0	1.5	-	-
- 300 तक	3.0	3.0	1.5	-
- 450 तक	4.5	3.0	2.0	2.0
-- 500 तक व अधिक	7.5	5.0	3.0	3.0
ग्रुप हाउसिंग				
4000 तक	7.5	6.0	4.5	4.5
10000 तक	9.0	7.5	5.0	5.0
10000 से अधिक	12.0	9.0	6.0	6.0

9.2 व्यवसायिक / कार्यालय :

भूखण्ड का न्यूनतम आवश्यक क्षेत्रफल मैदानी क्षेत्र में 175 वर्गमीटर तथा पर्वतीय क्षेत्र में 125 वर्गमीटर। किन्तु मोटल, रिजोर्ट्स हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल मैदानी क्षेत्र में 4000 वर्गमीटर एवं पर्वतीय क्षेत्र में 3000 वर्गमीटर। मल्टीप्लेक्स हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल मैदानी व पर्वतीय क्षेत्रों में 2500 वर्गमीटर होगा।

भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	सेट वैक (मीटर में) न्यूनतम आवश्यक			
	अग्र भाग	पृष्ठ भाग	पार्श्व-1	पार्श्व-2
250 तक	4.5	-	1.5	-
500 तक	6.0	2.0	1.5	-
1000 तक	9.0	3.0	3.0	-
1000 से अधिक	12.0	6.0	3.0	3.0
मोटल, रिजोर्ट्स व मल्टीप्लेक्स	15.0	7.5	6.0	6.0

9.3

होस्टल / बोर्डिंग / गेस्ट हाउस / लॉजिंग हाउस / धर्मशाला / मुसाफिरखाना / होटल-

भूखण्ड का न्यूनतम आवश्यक क्षेत्रफल मैदानी क्षेत्र में 750 वर्गमीटर तथा पर्वतीय क्षेत्र में 600 वर्गमीटर, न्यूनतम आवश्यक भू-खण्ड का क्षेत्रफल मैदानी क्षेत्र में 1500 वर्गमीटर एवं पर्वतीय क्षेत्र में 1000 वर्गमीटर। होटल हेतु

भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	सेट वैक (मीटर में) न्यूनतम आवश्यक			
	अग्र भाग	पृष्ठ भाग	पार्श्व-1	पार्श्व-2
800 तक	9.0	4.5	3.0	3.0
1500 तक	9.0	6.0	4.5	4.5
1500 से अधिक	12.0	6.0	5.0	5.0

9.4

सामुदायिक भवन तथा शिक्षण संस्थाओं / चिकित्सा / सामाजिक एवं सांस्कृतिक / धार्मिक व आश्रम परिसर :

भूखण्ड का न्यूनतम आवश्यक क्षेत्रफल मैदानी क्षेत्र में 1000 वर्गमीटर व पर्वतीय क्षेत्र में 850 वर्गमीटर।

भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	सेट वैक (मीटर में) न्यूनतम आवश्यक			
	अग्र भाग	पृष्ठ भाग	पार्श्व-1	पार्श्व-2
1000 तक	6.0	3.0	3.0	-
1001 से 3000 तक	7.5	4.5	3.0	3.0
3001 से 8000 तक	9.0	6.0	4.5	4.5
8001 से 15000 तक	9.0	6.0	6.0	6.0
15001 से 35000 तक	12.0	9.0	7.5	7.5
35000 से अधिक	15.0	9.0	9.0	9.0

9.5 औद्योगिक :

भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	सेट वैक (मीटर में) न्यूनतम आवश्यक			
	अग्र भाग	पृष्ठ भाग	पार्श्व-1	पार्श्व-2
300 तक	4.5	3.0	-	-
301 से 600 तक	5.0	3.0	3.0	-
601 से 1000 तक	6.0	4.5	4.5	2.0
1001 से 3000 तक	7.5	4.5	4.5	3.0
3001 से 6000 तक	9.0	6.0	5.0	5.0
6001 से 15000 तक	15.0	7.5	5.0	5.0
15000 से अधिक	20.0	9.0	7.5	7.5

- भूखण्ड का न्यूनतम आवश्यक क्षेत्रफल मैदानी क्षेत्र में 450 वर्गमीटर एवं पर्वतीय क्षेत्र में 300 वर्गमीटर, जबकि सर्विस उद्योग में इनके 40 प्रतिशत कम का भूखण्ड।
- केवल 600 वर्गमीटर से अधिक के भूखण्डों में स्थापित औद्योगिक भवनों में प्रवेश द्वारा के निकट वातुण्डीवाल से साठे हुये गार्ड रूम का निर्माण अनुमन्य होगा जिसका क्षेत्रफल अधिकतम 10 वर्गमीटर होगा।

10.0 सामुदायिक सुविधाएँ - मानक :

भू-आच्छादन, एफ०ए०आर० एवं भवनों की ऊँचाई संबंधी संशोधन के कम में सामुदायिक सुविधाओं में न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्रफल की आवश्यकता निमानुसार होगी - पर्वतीय क्षेत्र में निमानुसार निर्धारित क्षेत्रफल से 30 प्रतिशत कम क्षेत्रफल का भूखण्ड आवश्यक होगा :-

<u>शीलिक</u>	<u>न्यूनतम आवश्यक क्षेत्र</u>
आवासीय हाईस्कूल इण्टर कॉलेज	3.00 हैक्टेयर
स्थिरी कॉलेज या प्राविधिक आवासीय इण्टर कॉलेज / डिग्री / प्राप्तिधिक यिकिन्सा	3.00 हैक्टेयर 3.50 हैक्टेयर 4.50 हैक्टेयर
डिसपेन्सरी नर्सिंग होम प्राइमरी स्चारथ्य केन्द्र अस्पताल	0.12 हैक्टेयर 0.20 हैक्टेयर 0.70 हैक्टेयर 200 शैयाओं तक 2.75 हैक्टेयर 200 से अधिक 3.50 हैक्टेयर (एनसिलरीज व कर्मचारियों के आवास सहित)।
आयुर्वेद कालेज	1.25 हैक्टेयर (आवासीय कालेज हेतु 85 हैक्टेयर)
<u>विविध</u>	
रम0सी0ए० या एम0वी0ए० या बी0ए०ए० वास्तुकला व टाउन प्लानर्स फार्मसी या एलाइड आर्ट्स व कापट कैशन डिज़ाइन या एच0एम0सी0टी0	1.00 हैक्टेयर (आवासीय हेतु प्रत्येक ने 2.00 हैक्टेयर 0.60 हैक्टेयर के 1.00 हैक्टेयर अतिरिक्त आवश्यक)
शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों सम्बन्धी रक्कम— (एक नगर स्तर पर)	1.00 हैक्टेयर
शारीरिक रूप से अद्यम व्यक्तियों सम्बन्धी आवासीय रक्कम— (एक नगर स्तर पर)	1.50 हैक्टेयर

11.0 वर्षा जल संग्रहण - मानक :

11.1 विभिन्न गृ-उपयोगों के अन्तर्गत उन सभी उपकरण निर्माण कार्य पर जिनका गृ-आच्छादन 125 वर्गमीटर या अधिक हो वर्षा जल संग्रहण का प्राविधान अनिवार्य होगा।

11.2 वर्षा जल संग्रहण हेतु मानक कु निर्दिष्ट इसे दुर्घट 250 वर्गमीटर तक के आच्छादन पर न्यूनतम 2 घनमीटर रेन बाटर हारवेस्टिंग भण्डारण की व्यवस्था अनिवार्य होती जायेके इससे अधिक तक 400 वर्गमीटर तक 3.5 घनमीटर तथा उसके उपरान्त प्रत्येक 50 वर्गमीटर अथवा उसके अधिक भाग की आच्छादित वृद्धि पर न्यूनतम 1 घनमीटर अतिरिक्त की दर पर वर्षा जल भण्डारण का प्राविधान अवश्यक होगा।

11.3 यदि 400 वर्गमीटर से अधिक के नूखण्ड या धोर बेल / रिचार्ज गढ़ा / कुआ- हैण्ड पम्प / ट्रेन्च द्वारा गृहों रखना आवश्यक होगा।

11.4 इसके प्रभावी कियान्वयन हेतु आन्तरिक वर्षा जल भण्डारण (इन गाटर हारवेस्टिंग) के प्राविधान की पुष्टि, प्रशनात भवन भानचित्र में करने के उपरान्त ही सम्भवता अभिकरण द्वारा स्थीकृति सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी। इस प्रयोजनार्थ जल निकास एवं भण्डारण / साधारण से सम्बन्धित निर्माण कार्यों के होत्रफल को गृहतः आच्छादन हेतु अनुग्रन्थ क्षेत्रफल में शामिल नहीं किया जाएगा।

12.0 निर्माण कार्य की पूर्णता / अधिगोग प्रमाण-पत्र :

सभी गैर आवासीय भवनों एवं 250 वर्गमीटर व उससे अधिक आव्यादित आवासीट भवनों के लिये सावधित अभिकरण के सक्षम अधिकारी रूप से निर्माण कार्य की पूर्णता / अधिगोग प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

राज्य के समरत विनियमित क्षेत्र, विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, अन्य अभिकरण एवं रथानीय निकाय से सावधित क्षेत्र में उक्त रामरत प्राधिकरण उत्कर्ष भाव से कियान्वित करने आवश्यक है। इन प्राधिकरणों में कोई भी शिथिलता शासन द्वारा ही प्रदान की जा सकती है।

उपर्युक्त के क्रम में आवश्यकतानुसार बिल्डिंग बायलॉज / विनियमों में राशोधन कर उसके अनुपालन की सूचना संबंधित अभिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा एक माह के अन्दर प्रस्तुत की जायेगी।

भवदीय,

श्री

(शत्रुघ्न सिंह)

सचिव।

संख्या- २२.६.९ . . . (१) / V -आ० .. २००.८ . . . तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यदाही हेतु प्रेसित।

- 1-- अध्यक्ष, मसूरी-देहरादून / हरिद्वार विकास प्राधिकरण।
- 2-- अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, दूनघाटी / नैनीताल / गंगोत्री।
- 3-- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4-- प्रबन्ध निदेशक, सिड्कुल, च्यू कैन्ट रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड।
- 5-- एस०टी०सी०पी०, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड।
- 6-- निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 7-- गार्ड बुक।

श्री

(शत्रुघ्न सिंह)

सचिव।

		जायेगी। बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि वाईडनिंग में जो भवन स्थित है उनके ऊपर नव निर्माण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। उक्त निर्णय के साथ प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।	
मद सं0 43(24)	श्री राम कुमार शर्मा एडवोकेट की फीस व वाद व्यय में वृद्धि	बोर्ड को अवगत कराया गया कि श्री राम कुमार शर्मा एडवोकेट के द्वारा प्राधिकरण के हरिद्वार व ऋषिकेश से सम्बन्धित अभियोजन के वादों में विभिन्न न्यायालयों में प्राधिकरण के अधिवक्ता के रूप में वर्ष 2000 से कार्य किया जा रहा है। इन्हे प्रति प्रतिवाद के लिए रूपया 500.00 फीस व रूपया 10.00 वाद व्यय के रूप में प्राधिकरण की ओर से दिया जाता है। जोकि वर्तमान परिस्थितियों में अत्यधिक कम है। अतः उचित होगा कि श्री राम कुमार शर्मा को कार्य के हित में परिवाद व वाद व्यय के रूप में रूपया 1000.00 एक हजार प्रतिवाद की एक मुश्त राशि की स्वीकृति प्रदान की दी जाय। प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।	बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त है।
मद सं0 43 (25)	प्राधिकरण के सूचना के अधिकार के अन्तर्गत कार्य देखने के लिए सेवा निवृत्त कर्मी श्री रामचन्द्र सिंह नेगी के मानदेय में वृद्धि	बोर्ड को अवगत कराया गया कि श्री राम चन्द्र सिंह नेगी कलैकट्रेट के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे तथा सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के समक्ष पत्रावलियों को प्रस्तुत करने, सूचना प्राप्त करने उनका उल्लेख तैयार करने एवं उत्तर आदि भेजने के लिए श्री नेगी की सेवाओं का उपयोग दिनांक 3.08.2006 से किया जा रहा है। इसके लिए श्री नेगी को 3500.00 मानदेय के रूप में दिए जा रहे हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कार्य निरन्तर बढ़ रहा है। तथा नेगी जैसे	बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त है।

सुयोग्य कार्मिक की सेवायें प्राधिकरण द्वारा निरन्तर ली जा रही है। इनकी योग्यता के सापेक्ष रूपया—3500 की धनराशि अत्यधिक कम है। अतः प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष इस निवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया कि श्री नेगी को ₹ 3500 के स्थान पर ₹ 5000.00 पांच हजार मानदेय प्रतिमाह स्वीकृत कर दिया जाय। प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।

मद सं 43(26)	प्रमुख स्थानों पर हॉस्टल तथा आवासीय मानचित्र स्वीकृत कराकर उन स्थानों पर व्यावसायिक सुविधायें दिए जाने के प्रकरणों के नियमितिकरण की कार्यवाही	<p>प्राधिकरण के संज्ञान में यह आया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर तथा कुछ अन्य प्रमुख स्थानों पर जहां ट्रैफिक का आवागमन निरन्तर एवं अत्यधिक है, देसे स्थानों पर कुछ व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा हॉस्टल अथवा आवासीय मानचित्र प्रारम्भी में स्वीकृत कराये गये थे किन्तु इन क्षत्रों में तीर्थ—यात्रियों एवं पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या के क्रम में व्यावसायिक सुविधाओं की बढ़ी हुई आवश्यकताओं को देखते हुए कुछ प्रकरणों में हॉस्टल तथा आवासीय भवनों को व्यावसायिक रूप प्रदान किए जाने के कारण यह आवश्यक हो गया है कि प्राधिकरण द्वारा उनके स्वीकृत मानचित्र के सापेक्ष अब उसे व्यावसायिक मानते हुए उन्हे नोटिस देकर प्राधिकरण के नियमों में अनुमन्य व्यावसायिक सुविधाओं को अन्तर्गत शमनित करते हुए अनुमत कर दिया जाय। प्राधिकरण की हरिद्वार महायोजना के हरिद्वार विकास क्षेत्र भाग—अ के जोनिंग रेगुलेशन्स के पृष्ठ 38 पर यह उल्लेख किया गया है कि आवासीय भू—उपयोग को प्राधिकरण विशेष परिस्थितियों में एवं बोर्ड के निर्णय के रूप में एक विशिष्ट प्रकरण जो हरिद्वार ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग पर श्रीमती आशा जयसिंह एवं श्रीमती सरोज रानी द्वारा स्वीकृत आवासीय आश्रम के मानचित्र के विरुद्ध होटल निर्माण करने के कारण प्राधिकरण द्वारा निस्तारण हेतु सहयुक्त नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग देहरादून को इस कार्यालय के पत्र सं 3438 दि 0 22.01.2008 की परीक्षण हेतु भेजा गया। सहयुक्त नियोजन द्वारा अपने पत्र सं 207 दि 0 19.02.08 द्वारा तकनीकी आख्या के साथ यह अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थिति को</p>
--------------	---	--

		<p>रेस्तरां, मॉटल, एवं काफिलों के ठहरने के स्थानों में परिवर्तित करने में अनुमोदन दिया जा सकता है। ऐसा करने से न केवल ऐसे भवनों को नियमितिकरण हो सकेगा बल्कि उससे प्राधिकरण को आर्थिक लाभ भी होगा क्योंकि व्यवस्थाओं के दृष्टिकोण से ऐसे भवनों की उन स्थानों पर आवश्यकता है एवं इन्हे ध्वस्त करना जनहित में नहीं है।</p> <p>प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों में जिनमें हॉस्टल का मानचित्र स्वीकृत कराकर होटल एवं अन्य व्यावसायिक गतिविधियों प्रारम्भ कर दी गयी है उनमें जो भी विशिष्ट प्रकरण हो उन्हें पूरे विवरण के साथ प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में एस०टी०सी०पी० के परीक्षणों उपरान्त प्रस्तुत की जाय। किन्तु बाध्यता यह होगी कि ऐसे व्यावसायिक भवनों, एवं होटलों की मुख्य मार्गों पर आवश्यकता वास्तविक हो। प्राधिकरण बोर्ड की आगामी बैठक में ऐसे सभी विशिष्ट प्रकरणों के सम्बन्ध में अवगत कराया जाय।</p>	<p>देखते हुए ट्रेफिक की आवागमन निरन्तर व अत्याधिक है तथा पार्किंग भी नियमानुसार नहीं है। इस प्रकार के बिना स्वीकृति के भू-उपयोग में परिवर्तन कर लिये जाने के प्रकरणों को हतोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से मानचित्र अस्वीकृति किया जाना चाहिए। नियमानुसार बाईलांज एवं अधिनियम के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाय।</p>
मद सं० 43(27)	गंगा तट से 200मीटर की दूरी में स्वीकृति से भिन्न निर्माण करने पर उनका नियमितिकरण / शमन।	इस विन्दु पद एजेण्डा के पद संख्या-43(19) पर निर्णय लिया जा चुका है। अतः वर्तमान एजेण्डा मद से प्रकरण समाप्त किया गया।	प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त है।
मद सं० 43(28)	विद्युत शवदाह गृह खड़खडी के सम्बन्ध में विचार।	उपरोक्त विषय पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विचार विमार्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि सर्व प्रथम नगर पालिका परिषद हरिद्वार द्वारा विद्युत शवदाह गृह को क्रियाशील किया जाय तथा उसके उपरान्त नगर पालिका परिषद की यदि कोई अनवर्ती आवश्यकता होती है। तो उसे पुनः प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ जाया जा सकता है।	प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।

मद सं0 43(29)	काबड़ मेला के दौरान पुलिस व्यवस्था हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	<p>प्राधिकरण बोर्ड को अवगत कराया गया कि हरिद्वार में काबड़ मेला की सन्निकटता को देखते हुए तथा धनराशि के अभाव में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के द्वारा पत्र संख्या व 14/2007 दिनांक 19.07.2007 द्वारा मेले की व्यवस्थाओं के लिए रुपया-28.00 लाख की धनराशि की मांग की गयी है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में प्राधिकरण के पी0एल0ए0 में एक करोड़ की धनराशि पहले से ही जमा है तथा शासनादेश के उपरान्त ही पी0एल0ए0 से आहरित करके पुलिस विभाग को दी जा सकती है। काबड़ मेला अतिशीघ्र प्रारम्भ होने वाला है तथा यह अति महत्वपूर्ण</p>	<p>निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा रु0— 5.00 लाख का चैक संख्या 203953 दिनांक 21-7-2007 को निर्गत किया गया था। शासन से बजट उपलब्ध होने के उपरान्त रु0— 5.00 लाख का चैक संख्या 266 / 29 दिनांक 1-11-07 को प्राधिकरण को प्राप्त हो चुका है। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त है।</p>
		<p>है, की पुलिस विभाग को इसके लिए समय से धनराशि उपलब्ध करायी जाय। सम्यक विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि कॉबड मेले के लिए साउण्ड सिस्टम की स्थायी व्यवस्था हेतु रुपया-5.00 लाख की धनराशि प्राधिकरण से अस्थायी अग्रिम के रूप में उपलब्ध करा दी जाय तथा सम्बन्धित शासनादेश जारी होने पर प्राधिकरण के पी0 एल0 ए0 में उपलब्ध पुलिस विभाग की धनराशि में से इसका समायोजन कर लिया जाय। उपरोक्त निर्णय के साथ प्रकरण एजेण्डा से समाप्त किया गया।</p>	
मद सं0 43(30)	डामकोठी से पुल जटवाडा तक राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे के क्षेत्र को City Forest के रूप में विकसित करना।	<p>प्राधिकरण बोर्ड को अवगत कराया गया कि शंकराचार्य चौक से सिंह द्वारा तक स्थित नहर की पटरी पर सड़क निर्माण का कार्य प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किया गया था तथा अवस्थापना विकास निधि समिति की बैठक में दिनांक 22.12.2006 को सिंह</p>	<p>बोर्ड के निर्णय के क्रम में अवगत कराना है कि राष्ट्रीय राज मार्ग द्वारा 6 लेन का चौड़ीकरण प्रस्तावित है इस कारण से प्रस्ताव एजेण्डा मद</p>

Forest के रूप में विकसित करना।

द्वार से पुल जटवड़ा तक इसी मार्ग का विस्तारीकरण स्वीकृत किया गया है। चूंकि यह स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। अतः जिला प्रशासन के साथ विचार विमर्श करके यह उचित पाया गया कि इस क्षेत्र का एक प्रोजेक्ट तैयार करते हुए इस पूरी पटरी का सौन्दर्यीकरण करते हुए इस क्षेत्र को और अधिक आकर्षक बनाते हुए हरिद्वार की जनता के लिए पार्क के रूप में एक अच्छा मॉडल विकसित किया जाय। प्राधिकरण द्वारा पूर्व में भी इस क्षेत्र में वृक्षारोपण कराया गया है, बैंचे लगवायी गयी है एवं प्रकाश व्यवस्था भी की गयी है। इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन से विचार विमर्श के दौरान यह भी उचित पाया गया है कि इसकी एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट आमन्त्रित की जाय जिनमें इस क्षेत्र के विकास के साथ-साथ रख-रखाव का भी प्राविधान हो तथा इसकी **Funding** आंशिक रूप से प्राधिकरण द्वारा कराते हुए अन्य श्रोतों से भी जैसे **Entry Fees** इत्यादि लगाकर रख-रखाव के लिए संसाधन जुटाये जाय।

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उक्त प्रकरण पर निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय राज मार्ग विभाग से इस प्रयोजनार्थ स्थल का सीमांकन कराते हुए उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाय प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।

से समाप्त करने हेतु प्रस्तावित

मद संख्या— (1)

हरिद्वार विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2008–09 का प्रस्तावित आय–व्ययक।

वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु प्राधिकरण का निम्नलिखित आय–व्ययक प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैः—

(Rs. In lac)

Sl.no.	Name of head	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2007-2008	2008-2009
		Actual	Actual	Actual	Proposed	Actual	Proposed
1	2	3	4	5	6	7	8
	प्रारम्भिक अवशेष	1461.05	307.90	281.19	13352.17	13352.17	2219.79
A	राजस्व आय						
1	स्टाप्प डियूटी	98.14	134.56	256.86	300.00	191.69	300.00
2	विनियोजन पर व्याज प्राप्तियाँ	40.27	6.04	476.24	35.00	66.13	40.00
3	मानचित्र शुल्क	38.67	37.84	46.51	40.00	95.96	60.00
4	शमन शुल्क	68.36	99.60	93.17	110.00	59.90	110.00
5	पर्यवेक्षण शुल्क	5.42	7.19	12.53	10.00	8.67	10.00
6	अनुदान प्राप्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	विविध (टेण्डर फीस, आदि)	3.87	1.71	3.41	40.00	5.43	10.00
8	विकास शुल्क	96.05	100.05	152.42	120.00	218.69	160.00
9	भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क	0.00	25.33	44.71	40.00	15.62	80.00
10	अम्बार शुल्क	6.46	6.17	8.62	8.00	12.86	18.00
11	फी–होल्ड शुल्क	3.36	10.41	16.66	18.00	2.86	18.00
12	हरिलोक योजना में अनुरक्षण शुल्क	1.58	2.27	3.08	4.00	1.96	4.00
13	हरितमा शुल्क	11.30	12.33	17.25	15.00	25.73	25.00
14	आवेदन पुस्तिका विक्य	0.00	1.47	99.98	5.00	0.00	5.00
Total (A)		373.48	444.97	1231.44	745.00	705.50	840.00

Sl.no.	Name of head	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2007-2008	2008-2009
		Actual	Actual	Actual	Proposed	Actual	Proposed
1	2	3	4	5	6	7	8
B	पूंजीगत आय						
1	ऋषिलोक आवासीय योजना	4.86	5.90	2.30	3.00	4.16	2.00
2	शिवलोक आवासीय योजना	9.81	29.19	4.12	7.00	9.23	2.00
3	हरिलोक आवासीय योजना	19.40	62.66	81.71	30.00	27.11	10.00
4	श्यामलोक आवासीय योजना	45.56	19.94	84.68	5.00	5.16	2.00
5	आश्रय योजना	4.66	3.88	4.19	4.00	4.42	5.00
6	गायत्री लोक	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	ट्रान्सपोर्ट नगर योजना	0.00	42.40	106.82	1200.00	54.38	1100.00
8	इन्द्रलोक आवासीय योजना	0.00	0.00	12200.98	1800.00	939.61	400.00
9	इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग..2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
10	हुड़के एवं अन्य सम्बन्धित योजनाओं से ऋण प्राप्ति	275.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	600.00
11	प्राधिकरण कर्मचारियों को भवन निर्माण/ वाहन ऋण की वसूली	1.77	0.80	1.12	2.00	1.13	1.50
12	डिपाजिट कार्य कुम्ह मेला आदि)	54.89	0.00	0.00	10.00	0.00	500.00
13	एसओएलओ से भू- अर्जन की धनराशि वापस	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
Total (B)		478.36	164.77	12485.92	6061.00	1405.20	3622.50
Total INCOME (A+B)		851.84	609.74	13717.36	6806.00	2110.70	4462.50
कुल आय प्रारम्भिक अवशेष को जोड़कर		2312.89	917.64	13998.55	20158.17	15462.87	6682.29
A	राजस्व व्यय						
1-	अधिकारी						
(i)	कर्मचारी वेतन भत्ते	57.00	52.19	62.11	85.00	65.19	90.00
(ii)	यात्रा भत्ता	0.50	0.68	0.57	1.00	0.47	1.00
(iii)	दैनिक वेतन	0.07	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv)	अवकाश नगदीकरण / पेंशन अंशदान	0.00	1.96	1.12	5.00	0.55	5.00
(v)	मानदेय	0.00	0.00	0.23	0.50	0.01	0.50
(vi)	जिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.00	0.00	0.01	1.00	0.00	2.00
Total (A)		57.57	54.91	64.04	92.50	66.22	98.50
B	कार्यालय विविध व्यय						
(i)	डाक व्यय	0.10	0.16	0.16	0.50	0.29	0.50

Sl.no.	Name of head	2004-2005 Actual	2005-2006 Actual	2006-2007 Actual	2007-2008 Proposed	2007-2008 Actual	2008-2009 Proposed
1	2	3	4	5	6	7	8
(ii)	स्टेशनरी	0.36	0.99	1.42	3.00	2.34	3.00
(iii)	कार्यालय भवन अनुरक्षण	3.29	2.21	3.26	40.00	1.05	20.00
(iv)	अध्यक्ष कार्यालय अनुरक्षण	0.78	1.80	2.84	5.00	0.97	3.00
(v)	टेलीफोन	1.63	1.20	1.33	3.50	1.06	3.00
(vi)	पुस्तकालय	0.02	0.04	0.02	0.50	0.03	0.50
(vii)	कानूनी व्यय	1.41	1.67	2.59	5.00	3.75	6.00
(viii)	अतिथि सत्कार	0.29	0.33	0.64	2.00	0.36	1.50
(ix)	छपाई	0.01	0.44	0.65	3.00	0.12	1.50
(x)	विज्ञापन (सामान्य)	0.00	0.95	0.98	10.00	6.60	10.00
(xi)	निविदा विज्ञापन	2.40	4.81	0.00	10.00	7.50	10.00
(xii)	सम्परीक्षा शुल्क	2.96	2.35	1.87	3.50	0.00	10.00
(xiii)	विविध	1.12	1.00	0.89	2.50	1.47	3.00
(xiv)	कर्मचारी कल्याण	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50
(xv)	विद्युत अनुरक्षण / आपूर्ति	0.26	0.14	2.22	10.00	1.81	7.00
(xvi)	विवेकाधीन	0.05	0.40	0.35	5.00	0.30	3.00
(xvii)	अस्थाई अग्रिम	0.15	0.71	-0.90	1.00	0.54	1.00
(xviii)	कम्पूटर अनुरक्षण	0.29	0.32	0.45	2.00	0.33	2.00
(xix)	अम्बार शुल्क हस्तानान्तरण	3.36	0.89	0.00	8.00	0.00	8.00
(xx)	हरिलोक योजना अनुरक्षण व्यय	0.00	1.10	0.48	4.00	2.57	5.00
(xxi)	उत्तरांचल शासन आवास	0.00	0.47	0.49	1.50	0.00	1.50
(xxii)	एफ०वी०टी० व अन्य कर	0.00	0.71	0.91	5.00	18.54	30.00
(xxiii)	मरीनरी अनुरक्षन	0.00	0.08	0.22	1.00	0.00	0.00
Total (B)		18.48	22.77	20.87	126.50	49.63	130.00
C	वाहन						
(i)	अनुरक्षण	1.49	1.47	1.80	3.00	2.62	4.00
(ii)	पेट्रोल	4.67	6.50	8.47	9.00	5.93	10.00
Total (C)		6.16	7.97	10.27	12.00	8.55	14.00
D	कर्मचारी अग्रिम						

Sl.no.	Name of head	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2007-2008	2008-2009
		Actual	Actual	Actual	Proposed	Actual	Proposed
1	2	3	4	5	6	7	8
(i)	वाहन	0.00	0.00	0.26	3.00	0.00	3.00
(ii)	भवन / भूखण्ड	0.00	1.00	0.00	6.00	0.00	5.00
	Total (D)	0.00	1.00	0.26	9.00	0.00	8.00
E							
1	मास्टर प्लान	0.00	0.00	3.66	8.00	3.59	8.00
2	विकास कार्य (अनुदान)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	सिटी मैनेजर एसो	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00
	Total (E)	0.00	0.00	3.66	10.00	3.59	9.00
	Total Revenue exp..(A+B+C+D+E)	82.21	86.65	99.10	250.00	127.99	259.50
A	पूँजीगत व्यय						
1	कार जीप मशीनरी आदि क्य	0.40	3.91	6.32	10.00	0.00	12.00
2	कम्प्यूटर क्य	0.00	0.00	1.02	18.00	6.36	10.00
3	फर्नीचर फिक्चर्स क्य	6.47	0.92	0.54	13.00	8.00	10.00
	Total (A)	6.87	4.83	7.88	41.00	14.36	32.00
B	योजना भूमि क्य						
(i)	नई योजना	1544.60	99.27	360.00	3500.00	0.00	1500.00
	Total (B)	1544.60	99.27	360.00	3500.00	0.00	1500.00
C	योजना विकास / निर्माण कार्य						
(i)	शिवलोक आवासीय योजना	0.06	0.30	0.00	0.50	0.19	0.50
(ii)	श्यामलोक आवासीय योजना	8.00	2.40	2.25	2.00	0.00	2.00
(iii)	हरिलोक आवासीय योजना	0.00	0.00	0.88	2.00	0.00	2.00
(iv)	ऋण वापसी	0.00	275.00	0.00	300.00	0.00	40.00
(v)	ऋण पर देय व्याज	0.00	1.46	0.00	100.00	0.00	20.00
(vi)	प्रोत्त स्टेट्स / प्रारम्भ यात्रा	0.29	0.30	0.00	5.00	0.00	4.00
(vii)	अवस्था विकास निधि से विकास कार्य	18.14	27.70	63.43	500.00	342.39	700.00
(viii)	डिपाजिट कार्य कुम्भ मेला आदि)	246.76	58.14	39.58	30.00	0.00	500.00

Sl.no.	Name of head	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2007-2008	2008-2009
		Actual	Actual	Actual	Proposed	Actual	Proposed
1	2	3	4	5	6	7	8
(ix)	हरितमा वृक्षारोपण	8.15	9.98	10.24	15.00	9.12	15.00
(x)	द्रास्टपोर्ट नगर योजना	2.60	0.23	6.05	1100.00	353.68	500.00
(xi)	बी.एच.ई.एल. पुनर्वास योजना	85.63	68.33	7.40	40.00	0.00	50.00
(xii)	बी.एच.ई.एल. सहकारी आवास योजना	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(xiii)	इन्द्रलोक आवासीय योजना	0.56	1.86	49.57	12500.00	12395.35	500.00
(xiv)	इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग..2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
(xv)	हरिलोक भाग 2	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
Total (C)		371.31	445.70	179.40	14599.50	13100.73	2533.50
Total CAPITAL exp..(A+B+C)		1922.78	549.80	547.28	18140.50	13115.09	4065.50
Total Exp.		2004.99	636.45	646.38	18390.50	13243.08	4325.00
Closing Balance		307.90	281.19	13352.17	1767.67	2219.79	2357.29

मद संख्या-44(2)इन्द्रलोक आवासीय योजना फेज-1:- (34.50 एकड़) के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण की 40 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28.04.2006 के मद संख्या- 38.04 में लिये गये निर्णय के कम में इन्द्रलोक आवासीय योजना का विकास कार्य कराया जा रहा है। इस योजना में विकास कार्यों के अन्तर्गत विकास प्राधिकरण द्वारा सड़के, नालीयों, पार्क, चाहरदीवारी का निर्माण कार्य स्वयं कराया जा रहा है तथा सीधे का कार्य गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, हरिद्वार एवं पेयजल आपूर्ति का कार्य पेय जल निगम, हरिद्वार द्वारा कराया जा रहा है। वाह्य विद्युतिकरण का कार्य उत्तरांचल पावर कारपोरेशन द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। इस योजना में विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न श्रेणी के कुल 526 भूखण्डों का विकास एवं 90 तिमंजिले दुर्बल आय वर्ग के भवनों का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। प्राधिकरण द्वारा कुल 477 विभिन्न श्रेणी के भूखण्डों का तथा दुर्बल आय वर्ग के 59 भवनों का आवंटन किया जा चुका है। इस योजना में भूमि का मूल्य रूपये- 2700.00 प्रति वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है। इस योजना के आय-व्ययक का विवरण संलग्न है जिसके अनुसार इस योजना से कुल रूपये- 26.89 करोड़ की आय सम्भावित है एवं विकास कार्य तथा दुर्बल आय वर्ग के निर्माण पर कुल रूपये 17.85 करोड़ का व्यय सम्भावित है। इस योजना में लगभग 1.11 हैक्टो भूमि व्यायवसायिक गतिविधियों हेतु आरक्षित है जिसका विकास नीलामी के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। इस नीलामी के उपरान्त आय की धनराशि घट बढ़ सकती है। इस योजना को विकास प्राधिकरण द्वारा मार्च-2009 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

अतः प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष संझानार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

44. मद संख्या-2 : इन्द्रलोक आवासीय योजना फेज-1 (34.50 एकड़) के सम्बन्ध में।

सचिव, ह०विंप्रा० द्वारा बोर्ड के समक्ष योजना में विभिन्न विभागों द्वारा रु 17.85 करोड़ की लागत से सम्पादित कराये जा रहे विकास कार्यों की विस्तार से जानकारी दी गयी तथा वर्तमान में चल रहे कार्यों की प्रगति से भी अवगत कराया गया। बोर्ड के संज्ञान में भी लाया गया कि योजना में निर्मित होने वाले 90 दुर्बल आय वर्ग भवनों में से मात्र 59 ही आवंटित हुए हैं जिसपर अध्यक्ष/आयुक्त महोदय द्वारा रिक्त भवनों हेतु सिड्कुल में औद्योगिक इकाईयों के प्रतिनिधियों से वार्ता कर उनके श्रमिकों की आवासीय समस्या को दूर करने तथा सभी विकास कार्य निर्धारित समय-सीमा मार्च, 2009 तक योजना को पूर्ण रूप से सभी अवस्थापना सुविधाओं सहित सम्बन्धित आवंटियों के उपयोग हेतु सुपुर्द करने के निर्देश दिये गये। बोर्ड द्वारा योजना में अब तक चल रहे विकास कार्यों की सराहना करते हुए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

44. मद संख्या-3 : हरिद्वार ट्रांसपोर्ट नगर योजना-(15.25 हैक्टेयर) के सम्बन्ध में।

सचिव, ह०विंप्रा० द्वारा बोर्ड के समक्ष योजना में विभिन्न विभागों द्वारा रु 39.11 करोड़ की लागत से सम्पादित कराये जा रहे विकास कार्यों की विस्तार से जानकारी दी गयी तथा वर्तमान में चल रहे कार्यों की प्रगति से भी अवगत कराया गया जिसपर अध्यक्ष/आयुक्त महोदय द्वारा सभी विकास कार्य निर्धारित समय-सीमा मार्च, 2009 तक योजना को पूर्ण रूप से सभी अवस्थापना सुविधाओं सहित सम्बन्धित आवंटियों के उपयोग हेतु सुपुर्द करने के निर्देश दिये गये। बोर्ड द्वारा योजना में अब तक चल रहे विकास कार्यों की सराहना करते हुए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

44. मद संख्या-4 : इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-2 के सम्बन्ध में।

सचिव, ह०विंप्रा० द्वारा बोर्ड के समक्ष योजना के सम्बन्ध में जानकारी दी गई कि पूर्व में इस योजना हेतु 6 अलग-अलग भूखण्डों को विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया था किन्तु मैक्रो-प्लान के अभाव में उक्त के क्रियान्वयन में प्राधिकरण के समक्ष कठिनाईयों दृष्टिगोचर होने के कारण आर्काइट का पैनल गठित करने एवं एक मैक्रो-प्लान बनाने के साथ प्राधिकरण द्वारा ही सुनियोजित विकास कराये जाने हेतु दि० 5-12-07 को अध्यक्ष/आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया। प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तृत चर्चा की गयी तथा यह भी निर्देश दिये गये कि योजना में सिड्कुल के अन्तर्गत स्थापित औद्योगिक इकाईयों से उनकी आवासीय समस्याओं के सम्बन्ध में वार्ता भी की जाय तदनुसार औद्योगिक इकाईयों की समस्याओं के दृष्टिगत प्राथमिकता पर आवासीय इकाईयों / गुप्त हाउसिंग का निर्माण करा दिया जाय। प्रस्तुत प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

Secretary

Vice Chairman

Chairman/Commissioner

मद संख्या-44(3)

हरिद्वार ट्रान्सपोर्ट नगर योजना:- (15.25 हैक्टर)

प्राधिकरण की 40 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28.04.2006 के मद संख्या- 38.04 में लिये गये निर्णय के कम में ट्रान्सपोर्ट नगर योजना का विकास कार्य कराया जा रहा है। इस योजना में विकास कार्यों के अन्तर्गत विकास प्राधिकरण द्वारा सड़कें, नालीयाँ , पार्क, चाहरदीवारी का निर्माण कार्य स्वयं कराया जा रहा है तथा सीवर का कार्य गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, हरिद्वार एवं पेयजल आपूर्ति का कार्य पेय जल निगम, हरिद्वार द्वारा कराया जा रहा है। वाह्य विद्युतिकरण का कार्य उत्तरांचल पावर कारपोरेशन द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। इस योजना में विकास प्राधिकरण द्वारा ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय से सम्बन्धित वर्कशाप, गोदाम, कार्यालय , दुकानों, धर्मकांटा एवं पार्किंग स्थल का विकास कार्य कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त योजना में पेट्रोल पम्प, होटल, आरटी0ओ0 कार्यालय, पुलिस , फायर ब्रिगेड, नर्सिंग आदि का प्राविधान किया गया है। प्राधिकरण द्वारा लगभग 01 हैक्टर भूमि को व्यवसायिक गतिविधियों हेतु आरक्षित रखा गया है। योजना का भूमि मूल्य शासन द्वारा रूपये-6400.00 प्रति वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है। इस योजना के आय-व्ययक का विवरण संलग्न है जिसके अनुसार इस योजना से कुल रूपये- 43.17 करोड़ की आय सम्भावित है एवं विकास कार्यों के निर्माण पर कुल रूपये 39.11 करोड़ का व्यय सम्भावित है। योजना के सम्पत्तियों के आवंटन की प्रक्रिया प्रगति में है। इस योजना को विकास प्राधिकरण द्वारा मार्च-2009 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। ट्रान्सपोर्ट गतिविधियों से अतिरिक्त प्राविधानित आरक्षित भूमि का विकास नीलामी के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है जिसे इस योजना की आय घट-बढ़ सकती है। इस योजना को विकास प्राधिकरण द्वारा मार्च-2009 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

अतः प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद सं0-44 (4)

इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-2 के सम्बन्ध में ।

जिला मुख्यालय रोशनावाद के निकट प्राप्त 10.50 एकड़ भूमि में इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-2 (ग्रुप हाउसिंग योजना) में भूखण्डों को मुहरबन्द निविदाओं के माध्यम से नीलामी किये जाने संबंधी प्रस्ताव प्राधिकरण की 40 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28-4-2006 के एजेण्डा बिन्दु संख्या-40 (5) द्वारा अनुमोदित किया गया था । तदोपरान्त ग्रुप हाउसिंग के प्लाट के विकाय की प्रक्रिया अवधारित किये जाने हेतु प्रस्ताव अध्यक्ष/आयुक्त महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त किया गया । ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों की निविदा शर्तों में आंशिक संशोधन किये जाने संबंधी प्रस्ताव प्राधिकरण की 42 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28-12-2006 में प्रस्तुत किया गया । बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मुहरबन्द निविदायें दिनांक 11-01-2007 में प्राप्त कर दिनांक 07-3-07 में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष तकनीकी बिड्स खोली गयी । प्राप्त तकनीकी बिड्डों में प्रतिस्पर्धा नहीं होने के कारण सभी निविदायें निरस्त करते हुए नये सिरे से पुनः निविदायें आमन्त्रित करने एवं प्रत्येक प्लाट हेतु अलग-2 सील्ड निविदायें माँगे जाने संबंधी तकनीकी बिड्स समिति की संस्तुति स्वीकार किये जाने संबंधी प्रस्ताव अध्यक्ष/आयुक्त महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त किया गया । आयुक्त महोदय के अनुमोदन उपरान्त पुनः निविदायें आमन्त्रित करने के सम्बन्ध में तकनीकी बिड्स समिति द्वारा ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों के विकाय हेतु पूर्व में प्रकाशित निविदा प्रपत्र में दी गयी शर्तों आदि में कुछ शिथिलता प्रदान करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसें आयुक्त/अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार निर्णय हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण की 43 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 21-7-2007 के मद संख्या-43 (4) में प्रस्तुत किया गया । बोर्ड द्वारा तकनीकी बिड कमेटी के द्वारा प्रस्तावित संशोधनों का अनुमोदन प्रदान करने के साथ-साथ कुछ अन्य निर्णय लेते हुए पुनः सील्ड टेक्निकल व फाइनेन्शियल बिड्स आमन्त्रित करके उनका प्रक्रिया अनुसार निस्तारण करते हुए अन्तिम निर्णय हेतु अध्यक्ष/आयुक्त महोदय को अधिकृत किया गया ।

यहाँ यह अवगत कराना है कि पूर्व में पूरे भूखण्ड को छह भागों में विभाजित कर विकसित करने हेतु बिल्डर्स का चयन बिडिंग के आधार पर करते हुए आवासीय इकाईयों / अपार्टमेन्ट विकसित करने का निर्णय लिया गया था। परन्तु पूरे भूखण्ड का कोई मैको प्लान व ले—आउट तैयार नहीं किया गया। मात्र भूखण्ड को नीलामी द्वारा विक्रय किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही किये जाने में भविष्य में बिल्डर्स द्वारा अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से स्थल पर मूलभूत जनसुविधाओं का सृजन उचित तरीके से नहीं किये जाने एवं ०६ प्लाटों के अलग—अलग बिल्डर्स में अवस्थापना सुविधाओं को लेकर सामंजस्य स्थापित नहीं होने की सम्भावना रहेगी जिस कारण वहाँ रहने वालों को भविष्य में परेशानियाँ हो सकती हैं। अतः उपरोक्त कमियों/कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए इस योजना की वर्तमान प्रक्रिया को विराम देते हुए इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग—२ की बेहतर प्लानिंग एवं क्रियाव्ययन हेतु निम्न बिन्दुओं पर अध्यक्ष / आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक ५.१२.०७ को अनुमोदन दिया गया।

(01) योजना हेतु उपलब्ध भूखण्ड पर किसी अनुभवी एवं दक्ष आर्किटेक्ट से योजना की मैको प्लानिंग करायी जाये जिससे ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों के साथ—साथ अन्य आवश्यक निर्माण जैसे कि शापिंग सैन्टर, हैल्थ क्लब, पार्क इत्यादि का प्राविधान रखते हुए एक ले—आउट बनाया जा सके।

(02) आर्किटेक्ट के माध्यम से पूरे भूखण्ड का एक ब्लू प्रिन्ट तैयार कराया जाये जिसमें नालियों, बिजली, पानी, सीवर लाइन संयोजन स्पष्ट रूप से अंकित हो ताकि जब भविष्य में इस भूखण्ड पर निर्माण हो तो निर्माणकर्ता इसी ब्लू प्रिन्ट को ध्यान में रखते हुए कार्य करें ताकि भविष्य में यहाँ के निवासियों को कोई कठिनाई न हो सके और जनसुविधा हेतु कराये जाने वाले समस्त कार्यों में एकरूपता बनी रहे।

(03) चूंकि इस प्राधिकरण में प्लानिंग हेतु नगर नियोजक, सहायक नगर नियोजक एवं अन्य सुयोग्य प्लानर वर्तमान में तैनात नहीं हैं। अतः यह उचित प्रतीत होता है कि योजनाओं की बेहतर प्लानिंग हेतु आर्किटेक्टों का एक पैनल इस प्राधिकरण हेतु बनवा लिया जाये जिनके माध्यम से प्रश्नगत एवं भविष्य की योजनाओं की मैको प्लानिंग करायी जा सके।

(04) इस योजना में पूर्व भूमि दर रूपये— 2700—00 प्रति वर्गमीटर थी। वर्तमान में नये सर्किल रेट लागू होने एवं इस योजना को पूर्व में खोले जाने हेतु प्रचार-प्रसार आदि पर हुए व्यय को दृष्टिगत रखते हुए भूखण्डों की दरों को पुनः निर्धारित कराया जाना भी उचित होगा।

अतः उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार प्राधिकरण द्वारा आर्किटेक्टों का पैनल निर्धारण किया जा चुका है। इस योजना की भूमि पर प्राधिकरण द्वारा युप हाउसिंग, दो और तीन बैड रूम सेट, डुपलैक्स भवन के साथ-2 शापिंग सेन्टर, हैल्थ क्लब, पार्क एवं अन्य आवश्यक सुविधायें इत्यादि का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

उक्त योजना हेतु प्राधिकरण द्वारा निम्न प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है:-

1. प्राधिकरण द्वारा गठित आर्किटेक्ट के पैनल से योजना का एक मेको प्लान तैयार कराते हुये प्रस्तुतिकरण कराया जायेगा।
2. प्रस्तुतिकरण में प्रथम तीन का चयन प्राधिकरण द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा। चयनित आर्किटेक्टों में से किसी एक आर्किटेक्ट का चयन 2 बिड सिस्टम (तकनीकी एवं वित्तीय) को अपनाते हुये गठित समिति की संस्तुति के उपरान्त ₹10,00,000 आर (दांयी ओर संलग्न है) के आधार पर किया जायेगा।
3. चयनित आर्किटेक्ट से योजना का तलपट मानचित्र, प्रस्तावित भवनों की ड्राइंग, स्ट्रक्चरल डिजाईन, वर्किंग ड्राइंग आदि एवं अवस्थापना सुविधाओं तथा निर्मित होने वाले भवनों का विस्तृत आंगणन तैयार कराया जायेगा।
4. आर्किटेक्ट द्वारा प्रस्तुत ड्राइंग एवं आंगणन की स्वीकृति के उपरान्त योजना के कियान्वयन हेतु ठेकेदार / बिल्डर्स से निविदा प्राप्त करने हेतु निविदा प्रपत्र एवं निविदा सूचना का प्रारूप भी चयनित आर्किटेक्ट से तैयार कराया जायेगा।
5. योजना का कियान्वयन टर्नकी के आधार पर ठेकेदार / बिल्डर्स से 2 बिड सिस्टम के आधार पर निविदायें आमन्त्रित कर कार्य को प्राधिकरण द्वारा स्वयं कराया जायेगा।
6. योजना के निर्माण के समय कार्यों का सुपरविजन चयनित आर्किटेक्ट द्वारा किया जायेगा।
7. निविदा स्वीकृति के उपरान्त योजना का मूल्याकांन करते हुये निर्मित होने वाली सम्पत्तियों के विकल्प हेतु पंजीकरण एवं आवंटन की कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा की जायेगी।

उपरोक्त प्रस्ताव की स्वीकृति आयुक्त / अध्यक्ष द्वारा दिनांक 30.04.2008 को प्रदान की जा चुकी है। अतः उक्त प्रस्ताव की कार्योत्तर / औपचारिक स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या-44(5)

हरिद्वार में आई०एस०बी०टी० का निर्माण।

हरिद्वार में प्रायः जनता द्वारा आई०एस०बी०टी० के निर्माण की मांग की जाती रही है। पूर्व में ऋषिकुल हरिद्वार ज्वालापुर रोड पर ऋषिकुल विद्यापीठ की लगभग 05 हैक्ट० रिक्त भूमि पर कुम्भ / अर्ध कुम्भ मेलों के दौरान अस्थाई बस अड्डे का निर्माण किया जाता रहा है। हरिद्वार महायोजना भाग-अ के अनुसार प्रश्नगत क्षेत्र का भू-उपयोग कुम्भ मेला भूमि है। अतः हरिद्वार में स्थाई आई०एस०बी०टी० के निर्माण हेतु यदि विकास प्राधिकरण को शासन / जिला प्रशासन से ऋषिकुल की रिक्त भूमि अथवा अन्य कोई भूमि प्राप्त होती है तो पी०पी०पी० पद्धति में बी०ओ०टी० के आधार पर (जैसा कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अन्तर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण किया गया है।) हरिद्वार विकास प्राधिकरण आई०एस०बी०टी० का निर्माण कर सकता है।

अतः प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

44.मद संख्या-5 : हरिद्वार में आई०एस०बी०टी० का निर्माण।

जन-सामान्य एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा हरिद्वार में आई०एस०बी०टी० के निर्माण की मांग निरन्तर की जाती रही है। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव से सर्वसम्मति से सभी कुम्भ / अर्धकुम्भ मेलों एवं अन्य मेलों के दृष्टिगत सभी पहुलओं पर विचार किया गया। निर्णय लिया गया कि ऋषिकुल या अन्य उपयुक्त भूमि उपलब्ध होने पर प्राधिकरण द्वारा आई०एस०बी०टी० के निर्माण कराये जाने पर सैद्धान्तिक सहमति व्यक्त करते हुए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव को सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

44.मद संख्या-6 : हरिद्वार में सिटी बस सर्विस प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में।

बी०एच०ई०एल० के समीप सिड्कुल एरिया बनने के कारण तथा बहादराबाद क्षेत्र में औद्योगिकीकरण होने के कारण जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हो गयी है जिससे स्थानीय यातायात एक बड़ी समस्या के रूप में उमर कर सामने आ रही है। यातायात विभाग एवं किसी अन्य प्राईवेट सेक्टर द्वारा अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। जनसंख्या वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए हरिद्वार शहर में सिटी बस सर्विस की आवश्यकता हेतु प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

44.मद संख्या-7 : हरिद्वार में सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल के सम्बन्ध में।

हरिद्वार शहर में वर्तमान में अच्छी स्वास्थ्य चिकित्सा हेतु कोई हास्पिटल उपलब्ध नहीं है। हरिद्वार के समीप मात्र जौलीग्राण्ट में ही एक हास्पिटल है। आकस्मिक स्थिति में हरिद्वार में काफी समस्या रहती है। हरिद्वार में पी०पी०पी० पद्धति पर सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल की स्थापना के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण सम्बन्धित इच्छुक संस्था को भूमि उपलब्ध करायेगा अथवा उक्त संस्था को भूमि क्रय करने हेतु नैगोसिएशन करने में सहयोग प्रदान करेगा तदनुसार प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

44.मद संख्या-8 : भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रार्थना पत्र का प्रारूप एवं शुल्क का निर्धारण।

प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव से सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि भू-उपयोग परिवर्तन के प्रस्ताव में निर्धारित शुल्क एक एकड़ क्षेत्रफल तक ₹ 5000.00 एवं एक एकड़ से अधिक प्रति एकड़ या उसके अंश पर अतिरिक्त ₹ 5000.00 की दर के साथ वर्ष में दो बार ही आवेदन पत्र प्राप्त किये जाय तथा तदोपरान्त ही बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

मद सं०-४४ (६)

हरिद्वार में सिटी बस सर्विस प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में ।

हरिद्वार क्षेत्र को विस्तार बी०एच०इ०एल के समीप सिडकुल एरिया बनने के कारण तथा बहादराबाद क्षेत्र में औद्योगिकीकरण होने के कारण जनसंख्या में अत्याधिक वृद्धि हो गयी है जिससे स्थानीय यातायात एक बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आ गया है । वर्तमान में इस यातायात की समस्या हेतु ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा कोई पहल नहीं की गयी है तथा न ही किसी प्राईवेट सेक्टर द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गयी है । इस जनसंख्या वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए हरिद्वार शहर में सिटी बस सर्विस की अत्याधिक आवश्यकता है । वर्तमान में यू०आई०पी०सी (Uttaranchal Infra Structure & Project Company) जो आई.एल. & एफ.एस. व उत्तरांचल सरकार का Joint Venture फर्म है, द्वारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोजेक्ट हेतु कार्य कर रही है ।

प्रस्ताव है कि हरिद्वार क्षेत्र में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को विकास प्राधिकरण तथा नगर पालिका परिषद, हरिद्वार द्वारा या तो स्वयं अथवा संयुक्त रूप से शहर के रुटों को चिन्हित करते हुए पी.पी.पी. के आधार पर सिटी बस सर्विस के संचालन हेतु अग्रेतर कार्यवाही करे । इस हेतु यू०आई०पी०सी० को कंस्लेन्ट नियुक्त करते हुए सिटी बस सर्विस प्रोजेक्ट हेतु सिद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की जाए ।

अतः प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

मद सं०-४४ (७)

हरिद्वार में सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल के सम्बन्ध में ।

हरिद्वार शहर में वर्तमान में अच्छी स्वास्थ्य चिकित्सा हेतु कोई हास्पिटल उपलब्ध नहीं है । हरिद्वार के समीप मात्र जौलीग्राण्ट में ही इस प्रकार की एक हास्पिटल है । आकस्मिक स्थिति में हरिद्वार में काफी समस्या रहती है । अतः हरिद्वार में सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल की अत्यन्त आवश्यकता है । अतः यदि विकास प्राधिकरण को भूमि उपलब्ध हो जाती है तो कन्सलटैण्ट का चयन कर टैक्नीकल एवं फाइनेंसियल बिड्स मॉगते हुए पी०पी०पी० पद्धति के आधार पर प्राधिकरण कार्यवाही कर सकता है ।

उक्त प्रस्ताव की यदि प्राधिकरण बोर्ड सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करता है तो अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी । अतः प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ / अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

मद संख्या-44(8)

भू- उपयोग परिवर्तन हेतु प्रार्थना पत्र का प्रारूप एवं शुल्क का निर्धारण

हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की महायोजना भाग-अ व भाग ब के विकास क्षेत्र में भू- उपयोग परिवर्तन किये जाने हेतु कोई प्रार्थना पत्र का प्रारूप उपलब्ध नहीं है। जिस कारण आवेदकों द्वारा मिन्न-2 प्रक्रियाओं से आवेदन किया जाता रहा है। आवेदनकर्ता द्वारा भू- उपयोग परिवर्तन हेतु क्या-2 प्रपत्र जमा कराये जाने चाहिए उसका ज्ञान प्रारूप में न होने के कारण आवेदक को नहीं रहता है। इसके साथ-साथ प्रार्थना पत्र के साथ कोई शुल्क का भी निर्धारण नहीं है। भू- उपयोग परिवर्तन हेतु प्रार्थना पत्र एवं शुल्कों के निर्धारण का प्रस्ताव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में स्वीकृत किया जा चुका है।

अतः प्रस्ताव है कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की भाँति भू- उपयोग परिवर्तन हेतु संलग्न प्रार्थना पत्र के प्रारूप का अनुमोदन एवं भू- उपयोग परिवर्तन हेतु प्रार्थना पत्र शुल्क जोकि (01) एकड़ क्षेत्रफल तक रु०- 5000.00 एवं (01) एकड़ से अधिक प्रति एक एकड़ या उसके अंश पर अतिरिक्त रु०- 5000.00 की दर से शुल्क लिया जाय।

उपरोक्त प्रस्ताव की स्वीकृति आयुक्त / अध्यक्ष द्वारा दिनांक 30.04.2008 को प्रदान की जा चुकी है। अतः उक्त प्रस्ताव की कार्योत्तर / औपचारिक स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या-44 (9)

खसरा नम्बर 872 मि० ग्राम अतमलपुर बौंगला परगना ज्वालापुर, हरिद्वार के अंतर्गत 2.369 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग निर्माण हेतु भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

मानचित्र संख्या हरि०/२३५/०७-०८ श्री मनोज कुमार गोयल द्वारा ग्राम अतमलपुर बौंगला परगना ज्वालापुर में राजस्व खसरा नं०-८७२ मि० पर ग्रुप हाउसिंग के निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। हरिद्वार महायोजना भाग-अ (1985-2001) के अनुसार उक्त स्थल का भू-उपयोग कृषि हरित पट्टी (पी०-५) में प्रदर्शित है जिसके कारण उक्त भू-उपयोग में ग्रुप हाउसिंग का निर्माण अनुमन्य नहीं किया जा सकता है। आवेदक द्वारा कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में उक्त खसरा नं०-८७२ मि० जिसका रकबा 2.369 हेक्टेयर है का भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया गया है। यहाँ यह भी अवलोकनीय है कि हरिद्वार महायोजना प्रारूप-2025 में प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग से ८० मीटर दूरी तक उपखण्डीय व्यवसायिक तथा उसके बाद कृषि हरित पट्टी (पी०-५) के अंतर्गत प्रदर्शित किया गया है।

भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धित निर्गत शासनादेश संख्या-1205 दिनांक 12 अप्रैल, 2005 के अनुसार कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन अनुमन्य है। चूंकि भू-उपयोग परिवर्तन का अधिकार शासन में निहित है इसलिए भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति आयुक्त / अध्यक्ष महोदय से दिनांक 27.03.2008 में प्राप्त कर प्रस्ताव शासन को पत्र संख्या- 123 दिनांक 17.4.2008 में संदर्भित किया जा चुका है। अतः प्रस्ताव कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

44. मद संख्या-9 : खसरा नम्बर 872 मि० ग्राम अतमलपुर बौंगला परगना ज्वालापुर, हरिद्वार के अन्तर्गत 2.369 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग निर्माण हेतु भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

44. मद संख्या-10 : खसरा नम्बर 713, 714, 715 (मि०) ग्राम सलेमपुर महदूद-2 हरिद्वार के अन्तर्गत 3.109 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग निर्माण हेतु भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

44. मद संख्या-11 : खसरा नम्बर 1548, 1549/4, 1549/5 ग्राम सलेमपुर महदूद-2 हरिद्वार के अन्तर्गत 2.50 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित औद्योगिक निर्माण हेतु भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

44. मद संख्या-12 : ग्राम सलेमपुर महदूद-2 हरिद्वार के संलग्न खसरा नं० (संलग्न तालिका के अनुसार) जिसका कुल क्षेत्रफल 40.9989 हेक्टेयर है का कृषि भू-उपयोग से औद्योगिक भू-उपयोग में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।


Secretary


Vice Chairman


Chairman/Commissioner

मद सं०- 44 (10)

खसरा नं०-713, 714, 715 (मि०) 716 ग्राम सलेमपुर महदूद-2 हरिद्वार के अंतर्गत 3.109 हैक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के निर्माण हेतु भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में

मानचित्र संख्या-हरि०/100/07-08 में श्री प्रदीप कुमार एवं श्री सुशील कुमार गोयल द्वारा मैसर्स ड्रायब्रोस रिसोर्ट्स प्रा० लि० ने ग्राम सलेमपुर महदूद-2 के राजस्व खसरा नम्बर- 713, 714, 715 (मि०)716 पर ग्रुप हाउसिंग के निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। हरिद्वार महायोजना भाग-अ (1985-2001) के अनुसार उक्त स्थल का भू-उपयोग कृषि हरित पट्टी (पी०-५) में प्रदर्शित है जिसके कारण उक्त भू-उपयोग में ग्रुप हाउसिंग का निर्माण अनुमन्य नहीं किया जा सकता है। आवेदक द्वारा कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में उक्त खसरा नम्बर-713, 714, 715 (मि०)716 जिसका रकबा 3.109 हैक्टेयर है का भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया गया है। यहाँ यह अवलोकनीय है कि हरिद्वार महायोजना प्रारूप- 2025 में प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग आवासीय निम्न घनत्व (आर०-२) के अंतर्गत प्रदर्शित किया गया है।

भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धित निर्गत शासनादेश संख्या-1205 दिनांक 12 अप्रैल,2005 के अनुसार कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन अनुमन्य है। चूंकि भू-उपयोग परिवर्तन का अधिकार शासन में निहित है इसलिए भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति आयुक्त / अध्यक्ष महोदय से दिनांक 27.03.2008 में प्राप्त कर प्रस्ताव शासन को पत्र संख्या- 124 दिनांक 17.4.2008 में संदर्भित किया जा चुका है। अतः प्रस्ताव कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या-44 (11)

खसरा नम्बर-1548, 1549 / 4, 1549 / 5 ग्राम सलेमपुर महदूद-2 हरिद्वार के अंतर्गत 2.50 हैक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित औद्योगिक निर्माण हेतु भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

मानचित्र संख्या-हरि0/303/07-08 में श्री विपिन पाण्ड्या, अधिकृत प्रतिनिधि मैसर्स प्रिन्स पाईपस् एण्ड फिटिंग्स प्राइलि० द्वारा ग्राम सलेमपुर महदूद-2 के राजस्व खसरा नम्बर-1548, 1549 / 4, 1549 / 5 पर औद्योगिक निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है । हरिद्वार महायोजना भाग-अ (1985-2001) के अनुसार उक्त स्थल का भू-उपयोग कृषि हरित पट्टी (पी०-०५) में प्रदर्शित है जिसके कारण उक्त भू-उपयोग में औद्योगिक निर्माण अनुमन्य नहीं किया जा सकता है । आवेदक द्वारा कृषि भू-उपयोग से औद्योगिक भू-उपयोग में उक्त खसरा न०-1548, 1549 / 4, 1549 / 5 जिनका कुल रकबा-2.50 हैक्टेयर है का भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया गया है ।

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन द्वारा अपने पत्र संख्या-404 दिनांक 27-12-2006 द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप के बिन्दु सं०-३ में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि भूमि क्य करने के उपरान्त कृषि भू-उपयोग से औद्योगिक भू-उपयोग में परिवर्तन कराना होगा । प्रश्नगत क्षेत्र हरिद्वार महायोजना के अंतर्गत विद्यमान है । यहाँ यह भी अवलोकनीय है कि हरिद्वार महायोजना प्रारूप-2025 में प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग आवासीय निम्न घनत्व (आर०-०२) के अंतर्गत प्रदर्शित किया गया है ।

भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धित निर्गत शासनादेश संख्या-1205 दिनांक 12 अप्रैल, 2005 के अनुसार कृषि भू-उपयोग से औद्योगिक भू-उपयोग में परिवर्तन अनुमन्य है । चूंकि भू-उपयोग परिवर्तन का अधिकार शासन में निहित है इसलिए भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति आयुक्त / अध्यक्ष महोदय से दिनांक 27. 03.2008 में प्राप्त कर प्रस्ताव शासन को पत्र संख्या- 125 दिनांक 17.4.2008 में संदर्भित किया जा चुका है । अतः प्रस्ताव कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

मद संख्या-44 (12)

ग्राम सलेमपुर महदूद-2 हरिद्वार के संलग्न खसरा नं0 (संलग्न तालिका के अनुसार) जिसका कुल क्षेत्रफल 40.9989 हैक्टेयर है का कृषि भू-उपयोग से औद्यौगिक भू-उपयोग में परिवर्तन किये जाने सम्बन्ध में।

मै0 एरो इन्फास्ट्रक्चर लि�0 की ओर से श्री गोविन्द मिश्रा, सिनियर मैनेजर द्वारा ग्राम सलेमपुर महदूद भाग-दो जिला-हरिद्वार के खसरा नं0 (संलग्न तालिका के अनुसार) जिसका कुल रक्षा 40.9989 हैक्ट0 है, पर औद्यौगिक आस्थानो हेतु तलपट मानचित्र स्वीकृति हेतु दिनांक 19.02.2008 को प्रस्तुत किया गया है।

फर्म द्वारा उत्तराखण्ड शासन के औद्यौगिक विकास अनुभाग-2 से निजी औद्यौगिक आस्थान के लिये अधिसूचना संख्या-4399 / vii-2 / 469 - उद्योग / 2007 दिनांक 17.10.2007 की अनुमति के पैरा-2 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि औद्यौगिक संस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कृषि भू-उपयोग से औद्यौगिक भू-उपयोग में परिवर्तन कराना होगा। अधिसूचना के अनुसार ग्राम सलेमपुर महदूद भाग-दो के अन्तर्गत उल्लिखित सभी अधिसूचित खसरा नं0 का क्षेत्र हरिद्वार विकास क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। हरिद्वार महायोजना भाग-अ के अनुसार अधिसूचना में उल्लिखित सभी खसरा नं0 का भू-उपयोग कृषि हरित पट्टीका पी-5 के अन्तर्गत प्रदर्शित है। फर्म द्वारा तहसीलदार हरिद्वार से प्रमाणित सजरा खसरा नं0 को सजरा प्लान पर अवधारित करते हुये प्रस्तावित खसरा नं0 को सजरा प्लान पर चिन्हीत करते हुये कृषि भू-उपयोग से औद्यौगिक भू-उपयोग में परिवर्तन करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। भू-उपयोग परिवर्तन हेतु निर्गत भू-उपयोग संख्या-1205 दिनांक 12.04.2005 के अनुसार कृषि भू-उपयोग से औद्यौगिक भू-उपयोग में परिवर्तन अनुमन्य है। शासनादेश संख्या-266 दिनांक 05.05.2008 में संदर्भित / अध्यक्ष महोदय से दिनांक 30.04.2008 में प्राप्त कर प्रस्ताव शासन को पत्र संख्या- 266 दिनांक 05.05.2008 में संदर्भित किया जा चुका है। अतः प्रस्ताव कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या—44 (13)

ग्राम बहादराबाद, हरिद्वार के संलग्न खसरा नं० 323/2, 3,4,5,6,7,8, 325 / 1, 326 से 332, 335, 338, 340 से 342, 344, 364,365, 367,368,370,371,373 जिसका कुल क्षेत्रफल 22.7441 हैक्टेयर है का कृषि भू—उपयोग से आवासीय भू—उपयोग में परिवर्तन किये जाने सम्बन्ध में।

मै॒ सहारा इण्डिया कामरिंगिल कारपोशन के द्वारा ग्राम रानीपुर के खसरा नं० 694 से 697, 699 एवं ग्राम बहादराबाद के 344, 364,365, 367,368,370,371,373 जिसका कुल रक्का 33.8331 हैक्ट० है पर एक सहारा सीटी होम के नाम से आवासीय खसरा नं० का भू—उपयोग हरिद्वार महायोजना भाग—अ के अनुसार आंशिक आवासीय निम्न घनत्व (आर—2) एवं आंशिक पार्क घनत्व (आर—2) के अन्तर्गत है एवं बहादराबाद के उपरोक्त खसरा नं० में से कुछ खसरा नं० का भू—उपयोग आवासीय निम्न 332, 335, 338, 340 से 342, 344, 364,365, 367,368,370,371,373 जिसका कुल क्षेत्रफल 22.7441 हैक्ट० का भू—उपयोग कृषि हरित पट्टीका (पी—5) एवं बाग (पी—4) के अन्तर्गत है। आवेदक द्वारा उपरोक्त उल्लिखित खसरा नं० जिनका भू—उपयोग कृषि संख्या—1205 दिनांक 12.04.2005 के अनुसार कृषि भू—उपयोग से औद्योगिक भू—उपयोग में परिवर्तन अनुमत्य है। भू—उपयोग परिवर्तन का अधिकार शासन में निहित है इसलिए भू—उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति आयुक्त / अध्यक्ष महोदय से दिनांक 30.04.2008 में प्राप्त कर प्रस्ताव शासन को पत्र संख्या— 262 दिनांक 05.05.2008 में संदर्भित किया जा चुका है। अतः प्रस्ताव कार्यात्मक स्वीकृति हेतु प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

44. मद संख्या—13 : ग्राम बहादराबाद, हरिद्वार के संलग्न खसरा नं० 323/2, 3,4,5,6,7,8, 325 / 1, 326 से 332, 335, 338, 340 से 342, 344, 364, 365, 367, 368, 370, 371, 373 जिसका कुल क्षेत्रफल 22.7441 हैक्टेयर है का कृषि भू—उपयोग से आवासीय भू—उपयोग में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

44. मद संख्या—14 : ग्राम आनेकी हेतमपुर जिला—हरिद्वार के खसरा नं०—1459,1461, 1550 कुल क्षेत्रफल 4.062 हैक्टेयर भूमि का कृषि हरित पट्टी (पी—5) से आवासीय भू—उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।


प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

44. मद संख्या—15 : ग्राम सलेमपुर महदूद—2 जिला—हरिद्वार के खसरा नं०— 1363,1364, 1367 कुल क्षेत्रफल 1.386 हैक्टेयर भूमि का कृषि हरित पट्टी (पी—5) से आवासीय भू—उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।


44. मद संख्या—16 : ग्राम कांगड़ी जिला—हरिद्वार के खसरा नं०—177, 180, 181, 183 मि०, 184 कुल क्षेत्रफल 4.3234 हैक्टेयर भूमि का कृषि हरित पट्टी (पी—5) से आवासीय भू—उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।



Secretary

Vice Chairman



Chairman/Commissioner

५५

४५

मद संख्या—44 (14)

ग्राम आनेकी हेतमपुर जिला—हरिद्वार के खसरा नं०—1459,1461, 1550 कुल क्षेत्रफल 4.062 हैक्ट० भूमि
का कृषि हरित पट्टी (पी—5) से आवासीय भू—उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

श्री आर०ए० चौधरी, श्री अश्वनी कुमार काम्बोज, श्री ताहीर अली खान, श्री प्रदीप कुमार द्वारा ग्राम आनेकी हेतमपुर जिला—हरिद्वार के खसरा नं०—1459,1461, 1550 कुल क्षेत्रफल 4.062 हैक्ट० भूमि पर स्वीकृति हेतु आवासीय तलपट मानचित्र जमा कराया गया है। उक्त स्थल का भू—उपयोग हरिद्वार महायोजना भाग—अ के अनुसार कृषि हरित पट्टी (पी—5) के अन्तर्गत प्रदर्शित है। आवेदक द्वारा कृषि हरित पट्टीका से आवासीय भू—उपयोग में परिवर्तन किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। भू—उपयोग परिवर्तन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या—1205 दिनांक 12.04.2005 के अनुसार कृषि भू—उपयोग से आवासीय भू—उपयोग में परिवर्तन अनुमन्य है। भू—उपयोग परिवर्तन का अधिकार शासन में निहित है इसलिए भू—उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति आयुक्त / अध्यक्ष महोदय से दिनांक 30.04.2008 में प्राप्त कर प्रस्ताव शासन को पत्र संख्या—264 दिनांक 05.05.2008 में संदर्भित किया जा चुका है। अतः प्रस्ताव कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या—44 (15)

ग्राम सलेमपुर महदूद-2 जिला-हरिद्वार के खसरा नं0-1363,1364,1367 कुल क्षेत्रफल 1.386 हैक्ट0 भूमि का कृषि हरित पट्टी (पी-5) से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

श्री नेतराम, श्री सतपाल, श्री सन्तराम, श्री कबूल, श्री इन्द्रपाल, श्रीमति रिसाली एवं श्री जगदीश कुमार द्वारा ग्रम सलेमपुर महदूद-2 जिला-हरिद्वार के खसरा नं0-1363,1364,1367 कुल क्षेत्रफल 1.386 हैक्ट0 भूमि पर स्वीकृति हेतु आवासीय तलपट मानवित्र जमा कराया गया है। उक्त स्थल का भू-उपयोग हरिद्वार महायोजना भाग-अ के अनुसार कृषि हरित पट्टी (पी-5) के अन्तर्गत प्रदर्शित है। आवेदक द्वारा कृषि हरित पट्टीका से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। भू-उपयोग परिवर्तन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-1205 दिनांक 12.04.2005 के अनुसार कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन अनुमन्य है। भू-उपयोग परिवर्तन का अधिकार शासन में निहित है इसलिए भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति आयुक्त / अध्यक्ष महोदय से दिनांक 30.04.2008 में प्राप्त कर प्रस्ताव शासन को पत्र संख्या- 265 दिनांक 05.05.2008 में संदर्भित किया जा चुका है। अतः प्रस्ताव कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या-44 (16)

ग्राम कांगड़ी जिला-हरिद्वार के खसरा नं0-177,180,181,183 मि0, 184 कुल क्षेत्रफल 4.3234 हैक्ट0 भूमि का कृषि हरित पट्टी (पी-5) से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

श्री राकेश कुमार, श्री महेन्द्र सिंह, श्री इरशाद अहमद, श्री अरुण पाराशर द्वारा ग्रम कांगड़ी जिला-हरिद्वार के खसरा नं0-177,180,181,183 मि0, 184 कुल क्षेत्रफल 4.3234 हैक्ट0 भूमि पर स्वीकृति हेतु आवासीय तलपट मानचित्र जमा कराया गया है। उक्त स्थल का भू-उपयोग हरिद्वार महायोजना भाग-अ के अनुसार कृषि हरित पट्टी (पी-5) के अन्तर्गत प्रदर्शित है। आवेदक द्वारा कृषि हरित पट्टीका से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। भू-उपयोग परिवर्तन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-1205 दिनांक 12.04.2005 के अनुसार कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन अनुमन्य है। भू-उपयोग परिवर्तन का अधिकार शासन में निहित है। भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव शासन को पत्र संख्या- 3527 दिनांक 31.01.2008 में संदर्भित किया जा चुका है। अतः प्रस्ताव कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या-44 (17)

तहसील ऋषिकेश के ग्राम गोहरीमाफी में 10.6654 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग कृषि से सामुदायिक सुविधायें (शैक्षणिक संस्थान) में परिवर्तन के सम्बन्ध में:-

तिब्बतन होम फाउण्डेशन हैपी वैली मस्सी द्वारा ग्राम गोहरीमाफी-ऋषिकेश के खसरा नं०-133गि०, 135, 136, 137, 138, 139, 188, 189, 190, 191, कुल क्षेत्रफल 10.6654 हैक्टर भूमि पर शैक्षणिक संस्थान की स्वीकृति हेतु मानचित्र जमा कराया गया है। उक्त स्थल का भू-उपयोग ऋषिकेश महायोजना भाग-ब के अनुसार कृषि हरित पट्टी (पी-5) के अन्तर्गत है। भू-उपयोग परिवर्तन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-1205 दिनांक 12.04.2005 के अनुसार कृषि भू-उपयोग से सामुदायिक सुविधायें (शैक्षणिक संस्थान) भू-उपयोग में परिवर्तन अनुमन्य है। भू-उपयोग परिवर्तन का अधिकार शासन में निहित है। अपने पत्र संख्या- 3290 दिनांक 31.12.2007 में संदर्भित किया जा चुका है। शासन ने निर्देश दिये गये जिसके कम में आवेदक से भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क जमा कराते हुये प्रस्ताव शासन को भेजे जाने के दिनांक 06.05.2008 के द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है। अतः प्रस्ताव कार्यालय के पत्र संख्या-09 अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

44. मद संख्या-17 : तहसील ऋषिकेश के ग्राम गोहरीमाफी में 10.6654 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग कृषि से सामुदायिक सुविधायें (शैक्षणिक संस्थान) में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

44. मद संख्या-18 : श्री डी०के०अग्रवाल हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग श्यामपुर के (वाद सं०-८९/०४-०५) के पेट्रोल पम्प की शमन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।


प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर आयुक्त/अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि आवेदक द्वारा इस स्थल का मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया ? बिना स्वीकृति के अनाधिकृत निर्माण क्यों किया गया ? क्या स्थल मानचित्र भवन उपविष्ठि के अनुसार स्वीकृत किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में प्रकरण के मानचित्र स्वीकृति/ शमन किये जाने हेतु स्थिति स्पष्ट करते हुए आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

44. मद संख्या-19 : भू-उपयोग परिवर्तन के प्रस्तावों के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरण निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन प्राप्त करते हुए बोर्ड के समक्ष ही प्रस्तुत किये जाये तदनुसार प्रस्तुत प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

44. मद संख्या-20 : हरिद्वार नगर में वाहनों के पार्किंग हेतु पार्किंग स्थल के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया है कि पार्किंग हेतु भूमि की उपलब्धता हेतु विस्तृत सर्वे करते हुए यथा आवश्यक भूमि क्रय की जा सकती है। पार्किंग मल्टीपरपज के साथ विकसित की जाय इस हेतु सिडकुल में स्थित औद्योगिक ईकाईयों या अन्य संस्थाओं से भी सहयोग लिया जाय तदनुसार प्रस्तुत प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।



Secretary



Vice Chairman



Chairman/Commissioner

१०६

मद संख्या—44 (18)

श्री डी०के० अग्रवाल हरिद्वार ऋषिकेष मार्ग श्यामपुर के (वाद संख्या—89 / 04—05) के पेट्रोल पम्प की शमन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

हरिद्वार ऋषिकेष मार्ग, श्यामपुर, ऋषिकेष में श्री डी०के० अग्रवाल द्वारा अनाधिकृत रूप से पेट्रोल पम्प का निर्माण किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत) द्वारा 27 / 28 की कार्यवाही करते हुये वाद संख्या— 89 / 04—05 योजित किया गया। विपक्षी द्वारा वाद के सम्बन्ध में शमन प्रार्थना पत्र व शमन मानचित्र प्रस्तुत किया गया। जिसका परीक्षणोपरान्त तथा शासनादेश संख्या—4752 दिनांक 01.11.2004 के अनुसार भूमि मूल्य का परिवर्तन शुल्क रूपये— 9,52,424.00 प्राधिकरण कोष में दिनांक 02.08.2006 तक पूर्ण राशि जमा करायी जा चुकी है। शासनादेश के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण की जाँच नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग देहरादून से करायी जा चुकी है।

प्रश्नगत प्रकरण पेट्रोल पम्प के निर्माण के शमन की स्वीकृति से सम्बन्धित है। उपरोक्तानुसार प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुयोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 44 (19)
भू-उपयोग परिवर्तन के प्रस्तावों के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश) की धारा 13 के अन्तर्गत महायोजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग में संशोधन का अधिकार शासन में निहित है। विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत समय-2 पर भू-उपयोग परिवर्तन के प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं जो प्राधिकरण सभा के द्वारा शासन को संदर्भित किये जाते हैं। चूंकि विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक होने में समय लगने की सम्भावना रहती है। इसलिए बोर्ड बैठक न हो पाने के कारण भू-उपयोग परिवर्तन के प्रस्ताव लम्बित रहते हैं।

अतः प्रस्ताव है कि प्राधिकरण में भू-उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रस्तावों को शासन को संदर्भित करने हेतु अध्यक्ष, ह०विंप्रा० को अधिकृत कर दिया जाए ताकि उनकी अनुमति के उपरान्त भू-उपयोग सम्बन्धी प्रस्तावों को शासन को संदर्भित किये जा सके जिसकी औपचारिक स्वीकृति बाद में प्राधिकरण बोर्ड से प्राप्त कर ली जाए।

अतः प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या-44 (20)

हरिद्वार नगर में वाहनों के पार्किंग हेतु पार्किंग स्थल के विकास के सम्बन्ध में:-

हरिद्वार एक तीर्थ नगरी है जहाँ वर्ष भर तीर्थ यात्रियों का आवागमन लगा रहता है, साथ ही हरिद्वार में प्रत्येक छः वर्ष के पश्चात अर्द्धकृष्ण / कुम्ह मेलों का आयोजन किया जाता है एवं वर्ष भर सन्त समाज द्वारा भी सम्मेलन / प्रवचनों का आयोजन किये जाते हैं, जिस कारण शहर में पार्किंग की कमी हो जाती है। वर्तमान में मा. भीमगोड़ा एवं पंतद्वीप में ही वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था है परन्तु उक्त पार्किंग स्थलों से पार्किंग व्यवस्था पुरी नहीं होती है जिससे यातायात नियन्त्रित करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसके साथ-2 हरिद्वार में सिडकुल एवं विभिन्न औद्योगिक आस्थानों के निर्मित हो जाने के कारण यहाँ जनसंख्या एवं वाहनों में अत्यधिक वृद्धि हो गयी है, जिसकारण आये दिन सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रहती है। ज्वालापुर तथा चन्द्रायाचार्य चौक के आस-पास भी व्यवसायिक गतिविधियाँ अत्यधिक हैं परन्तु जनता के वाहनों की पार्किंग की कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं है जिसकारण आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है। अतः बढ़ती हुयी जनसंख्या एवं वाहनों के दृष्टिगत रखते हुये हरिद्वार-ज्वालापुर क्षेत्र में पार्किंग स्थल विकसित किया जाना नितान्त आवश्यक है।

प्रस्ताव है कि हरिद्वार ज्वालापुर क्षेत्र में नगर पालिका, सिचार्इ विभाग अथवा अन्य किसी विभाग की खाली पड़ी भूमि को प्राप्त कर उसपर हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा जन सामान्य की सुविधा हेतु पार्किंग स्थल विकसित कर दिया जाय।

अतः प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ / अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या-44 (21)

**संशोधित भवन उप-विधि के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-2269/V/आ-2007-55(आ0)/
2006 टी.सी. दिनांक 06-11-07 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।**

शासन के पत्र सं0-2269/V/आ-2007-55(आ0)/2006 टी.सी.दिनांक 06-11-07 द्वारा ह0विंप्रा०, हरिद्वार की भवन निर्माण उपविधियों /नियमों में भवन की ऊँचाई, भू-आच्छादन,एफ0ए०आर०, भू-गेह पार्किंग सम्बन्धी इत्यादि मानकों में संशोधन किये गये हैं जिसे राज्य के समस्त विनियमित क्षेत्र,विकास प्राधिकरण,विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, राज्य औदोगिकम विकास प्राधिकरण, अन्य अभिकरण एवं स्थानीय निकाय से संशोधित क्षेत्र में उक्त समस्त प्राधिकरण तत्काल प्रभाव से कियान्वित करने आवश्यक है।

उपरोक्तानुसार शासन द्वारा यथा संशोधित उपविधियों / नियमों में भवन की ऊँचाई, भू- आच्छादन, एफ.ए०आर०, भू-गेह, पार्किंग सम्बन्धित इत्यादि मानकों में संशोधन कर लिये गये हैं। तदनुसार उक्त शासनादेश उसी समय से हरिद्वार विकास प्राधिकरण में संशोधित मानते हुये यथा संशोधित करते हुये कार्यवाही की जा रही है। अतः हरिद्वार विकास प्राधिकरण की भवन उपविधि, 2000 पुनः संशोधित उपविधि 2004 यथा पुनः संशोधित भवन उपविधि 2007 को प्राधिकरण बोर्ड में अंगीकृत किये जाने का प्रस्ताव अनुमादनार्थ प्रस्तुत है।

44.मद संख्या-21 : संशोधित भवन उप-विधि के सम्बन्ध में शासना सं0-2269/ट/आ-2007-55(आ0)/ 2006 टी.सी. दिनांक 06-11-07 को अंगीकृत f जाने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत शासनादेश को अंगीकृत करते हुए तदनुसार प्रस्तुत प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

44.मद संख्या-22 : हरिलोक आवासीय योजना भाग-2 अधिग्रहण के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण की 42 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28-12-06 में हरिलोक आवासीय योजना भाग-2 का भूमि अर्जन प्रस्ताव हेतु सचिव, ह0विंप्रा० की अध्यक्षता में अपर जिलाधिकारी हरिद्वार, जिला उद्यान अधिकारी तथा प्रमाणीय वनाधिकारी की एक संयुक्त समिति गठित की गयी थी जिस पर अन्तिम निर्णय लेने हेतु अध्यक्ष/आयुक्त महोदय को अधिकृत किया गया था। समिति की रिपोर्ट दिनांक 30-11-07 को उपाध्यक्ष द्वारा दिनांक 15-12-07 में अन्तिम निर्णय लिये जाने हेतु अध्यक्ष/आयुक्त को प्रेषित की गयी जिस पर भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव को समाप्त किये जाने के साथ ही बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के निर्देश आयुक्त/अध्यक्ष द्वारा दिये गये। प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव को समाप्त किये जाने सम्बन्धी प्रस्तुत प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

44.मद संख्या-23 : हरिलोक आवासीय योजना में आश्रय योजना के अन्तर्गत निर्मित 78 भवनों के सापेक्ष शासन द्वारा आरक्षित रिक्त 16 भवनों का विक्रय /किराये पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

सचिव, ह0विंप्रा० द्वारा बोर्ड को अवगत कराया गया कि हरिलोक आवासीय योजना में प्राधिकरण द्वारा 78 आश्रय भवनों का निर्माण कराया गया था। शासनादेश के अनुसार 16 भवनों को रिक्त/आरक्षित रखा गया था उक्त भवन जीर्ण-शीर्ण हो चुके हैं तथा असामाजिक व्यक्तियों द्वारा बार-बार कब्जा किया जा रहा है। बोर्ड सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त 16 भवनों को ₹ 10.00 प्रतिदिन की दर से किराये पर दे दिये जाय तथा उन्हीं किरायेदारों को आवंटन हेतु शासन को भी प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जाय तदनुसार प्रस्तुत प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

Secretary

Vice Chairman

Chairman/Commissioner

मद संख्या-44(22)

हरिलोक आवासीय योजना भाग-2 के अधिग्रहण के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण की 42वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28.12.06 में हरिलोक आवासीय योजना भाग-2 का भूमि अर्जन प्रस्ताव हेतु सचिव, हरिद्वार विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया जिसमें अपर जिलाधिकारी-हरिद्वार, जिला उद्यान अधिकारी तथा प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य होंगे। यह समिति भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव पर परीक्षण करते हुए आख्या प्रस्तुत करेंगी। जिस पर अंतिम निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष / आयुक्त, गढ़वाल मण्डल को अधिकृत किया गया था। गठित समिति की सचिवत रिपोर्ट दिनांक 30.11.07 पर उपाध्यक्ष हॉविंग्राम द्वारा दिनांक 15.12.07 को विभिन्न कारणों एवं कठिनाईयों के दृष्टिगत हरिलोक आवासीय योजना भाग-2 लड़की रोड, ज्वालापुर स्थित 94.9156 हेक्टेयर भूमि के अर्जन / अधिग्रहण प्रस्ताव को समाप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव आयुक्त गढ़वाल मण्डल को प्रेषित किया गया। उनके ओदशा दिनांक 17.12.07 के अनुसार प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है जिसके उपरान्त कार्यालय पत्रांक 3210 दिनांक 20 दिसम्बर 2007 के द्वारा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, हरिद्वार को अधिग्रहण प्रस्ताव को समाप्त करने हेतु सूचित किया गया।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ प्रेषित है।

मद संख्या-44(23)

हरिलोक आवासीय योजना में आश्रय योजना के अन्तर्गत निर्मित 78 भवनों के सापेक्ष शासन द्वारा आरक्षित रिक्त 16 भवनों को विक्रय/किराये पर दिए जाने के सम्बन्ध में।

हरिलोक आवासीय योजना में 78 आश्रय भवनों का निर्माण कराया गया था। उम्रो 0 शासन के आदेश संख्या-4020/9-आ-1-1998 दिनांक 24-10-1998 द्वारा निर्मित आवासों में से 25 प्रतिशत आवास हर समय उन व्यक्तियों को जो सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करके रहने लगे हैं और उस सार्वजनिक भूमि की आवश्यकता सार्वजनिक प्रयोजन हेतु अपरिहार्य है के लिए उपलब्ध रखे जायेगे।

उक्त शासनादेश के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा निर्मित 78 भवनों के सापेक्ष 16 भवन आरक्षित रखे गये हैं। उक्त भवन जीर्ण-शीर्ण हो चुके हैं तथा असामाजिक व्यक्तियों द्वारा बार-बार- कब्जा किया जा रहा है।

उक्त भवनों को क्रय किए जाने हेतु जनता द्वारा लगातार प्रार्थना पत्र प्राधिकरण को प्रेषित किए जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में शासन को भी 817 दिनांक 9-6-2006, पत्र संख्या-3325 दिनांक 25 नवम्बर 2006 एंव पत्र संख्या- 2812 दिनांक 23-10-2006 प्रेषित किए जा चुके हैं। परन्तु विक्रय किए जाने हेतु अनुमति प्राप्त नहीं हुई है।

ऐसी स्थिति में शासन से विक्रय किए जाने की स्वीकृति तक यदि एक नीति निर्धारित करते हुए किराये पर दे दिए जाय तो इन भवनों की मरम्मत आदि पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हो सकती है और जब शासन से विक्रय किए जानेकी स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो शासनादेश के अनुसार विक्रय किए जाने की कार्यवाही कर दी जायेगी।

प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या-44(24)

श्री सत्य प्रकाश शर्मा भवन संख्या-एम०-०१ ए० शिवलोक भाग-२ के सम्बन्ध में।

श्री सत्य प्रकाश शर्मा को वर्ष 1992 में भवन संख्या-एम-१ए शिवलोक भाग-२में ,16 तिमाही किश्तों में भवन आवंटित किया था। किश्तों की गणना में लिपिकीय त्रुटि होने के कारण प्रति किश्त रूपया-9986-०० सूचित करते हुए भवन का अनुबन्ध किया गया। उक्त त्रुटि संज्ञान में आने के पश्चात संशोधित किश्त राशि रूपया-12,131-०० कुल अन्तर राशि रूपया 34,320-०० जमा कराये जाने हेतु सूचित की गयी। अन्तर राशि जमा कराये जाने के आदेश के विरुद्ध आवंटी द्वारा मा० अपर जिला जज प्रथम एफ०टी० सी० हरिद्वार के न्यायालय में अपील संख्या-22/2000 दायर की गयी। उक्त अपील में मा० न्यायालय द्वारा यह आदेश दिनांक 9-7-2003 पारित किया कि दोनों पक्षों के मध्य जो किश्तों की राशि निश्चित की गयी थी उससे अधिक राशि अपीलार्थी से वसूल न करे। उक्त आदेश के विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा मा० उच्च न्यायालय नैनीताल में अपील संख्या-86/2003 योजित की गयी। उक्त अपील दिनांक 19-4-2007 को इस निर्णय के साथ निस्तारित की गयी कि उभय पक्षों के मध्य जो किश्तों की धनराशि निश्चित की गयी थी उससे अधिक धनराशि अपीलार्थी(प्राधिकरण) वसूल न करे।

अतः मा० उच्चतम न्यायालय में अपील योजित करने में अधिक व्यय होने की सम्भावना है। इस दृष्टि को देखते हुए आवंटी से उक्त राशि वसूल न करने एंव आवंटी के पक्ष में भवन की लीजडीड सम्पादित किया जाना उचित है। प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एंव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या—44 (25)

हरिद्वार विकास क्षेत्र के अन्तर्गत नगर पालिका सीमा के बाहर आवासीय भू—उपयोग में नियमित की गयी कालोनियों में मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में:-

हरिद्वार विकास क्षेत्र के अन्तर्गत नगर पालिका सीमा के बाहर आवासीय भू—उपयोग में विकसित अनाधिकृत कालोनियों जिनका नियमितिकरण प्राधिकरण बोर्ड द्वारा किया जा चुका है, में वर्तमान में भू—स्वामित्व अभिलेखों के साथ—2 अनिवार्य रूप से उद्धरण खतोनियों में नाम दर्ज हो जाने के अभिलेख प्राप्त किये जाने के पश्चात ही मानचित्र स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था है। नियमित कालोनियों जो नगर पालिका सीमा के बाहर हैं तथा विकास क्षेत्र अन्तर्गत हैं तथा जिनका भू—उपयोग आवासीय है एवं जिसके अन्तर्गत छोटे—2 भूखण्ड हैं, राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज न हो पाने के कारण प्राधिकरण द्वारा नियमित कालोनियों में मानचित्र स्वीकृत किये जाने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है तथा मानचित्र स्वीकृत न हो पाने के कारण जनता को भी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

अतः उक्त कठिनाई को दृष्टिकोण से रखते हुये जनहित में हरिद्वार विकास क्षेत्र के अन्तर्गत नगर पालिका की सीमा की बाहर की नियमित कालोनियों में विकाय पत्र के आधार पर ही मानचित्र स्वीकृत / शमन की कार्यवाही करने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

44. मद संख्या—24 : श्री सत्य प्रकाश शर्मा भवन संख्या—एम०—०१ ऐ० शिवलोक भाग—२ के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि गणना की त्रुटि हेतु सम्बन्धित को चेतावनी देते हुए आवंटी को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार अन्तर की धनराशि से मुक्त कर दिया जाय तदनुसार प्रस्तुत प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

44. मद संख्या—25 : हरिद्वार विकास क्षेत्र के अन्तर्गत नगरपालिका सीमा के बाहर आवासीय भू—उपयोग में नियमित की गयी कालोनियों में मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम उक्त प्रकरणों का विस्तृत सर्वे करा लिया जाय तदोपरान्त उपाध्यक्ष की संस्तुति सहित अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जाय तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से —

44. मद संख्या—26 (1) : हरिद्वार में जे०एन०एन०य०आर०एम० के अन्तर्गत हैरिटेज एवं टूरिज्म के प्रोजेक्ट्स के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत जे०एन०य०आर०एम० के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार—विमर्श हेतु सैद्धान्तिक सहमति व्यक्त करते हुए तदनुसार प्रस्तुत प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा अनुगोदित किया गया तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

44. मद संख्या—26 (2) : श्री रामचन्द्र पुत्र श्री सतीश चन्द्र, श्रीराम रिसोर्ट इण्डस्ट्रीज प्रा० लि० द्वारा प्रस्तुत होटल निर्माण के मानचित्र सं०—मान०/हरि०/आर.इ.—१/२५/२००६—०७ दिनांक २२—०५—०८ की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया मानचित्र आवश्यक परीक्षण हेतु एस०टी०सी०पी० उत्तराखण्ड, देहरादून को सन्दर्भित कर दिया जाय। एस०टी०सी०पी० के परीक्षणोरान्त ही आगामी बोर्ड बैठक में तदनुसार प्रस्तुत किया जाय।

अन्त में उपाध्यक्ष द्वारा आयुक्त/अध्यक्ष महोदय का प्राधिकरण की बोर्ड बैठक हेतु व्यस्ततम् कार्यक्रमों में से समय प्रदान करने हेतु विशेष आभार व्यक्त किया गया तथा अन्त में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक को समाप्त किया गया।

Secretary

Vice Chairman

Chairman/Commissioner